बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

एक सबके लिए सब एक के लिए

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

वार्षिक प्रतिवेदन

2019-20

परिदृश्य

सहकारिता विभाग का वर्ष 2019–20 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। राज्य की ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ करने में सहकारिता एक सशक्त माध्यम है इसलिये ''भारतीय संविधान के 97–वे संशोधन'' द्वारा देश के नागरिकों को सहकारी–समिति के गठन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है और राज्यों को सहकारी–समितियों के गठन एवं विकास का दायित्व सौपा गया है। सहकारिता को एक मूल्य आधारित सशक्त आर्थिक–सामाजिक व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाना वर्तमान समय की माँग है। वर्तमान समय में सहकारिता क्षेत्र में कृषि साख की उपलब्धता, कृषि उत्पाद के भंडारण की व्यवस्था, अधिप्राप्ति के माध्यम से कृषकों को उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाना एवं फसलों की क्षति होने पर फसल बीमा के माध्यम से क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करना आदि कार्य किया जा रहा है।

राज्य के अधिकतम कृषकों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ पहुँचे तथा अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण गुणवत्ता और पारदर्शिता हो इस उद्देश्य से कृषकों का "online" निबंधन एवं पर्यवेक्षण/अनुश्रवण के साथ–साथ "PFMS" के माध्यम से भुगतान उनके बैंक खाता में करने की व्यवस्था की गई है।

राज्य के पैक्सों में स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा देने के प्रयोजन से ''मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना'' लागू की गई है। इस योजनान्तर्गत प्रत्येक अनुमण्डल के 2 (दो) पैक्सों एवं राज्य स्तर पर 3 (तीन) पैक्सों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किये जाने की योजना है। पैक्सों में कर्मियों के कार्यों की क्षमता में वृद्धि एवं पारदर्शिता तथा पैक्सों के कार्यों का पर्यवेक्षण मुख्यालय एवं जिला स्तर से भी सहजता से होने के उद्देश्य से पैक्सों का कम्प्युटरीकरण हेतु विभागीय पत्रांक–11076 दिनांक–21.12.2018 द्वारा नाबार्ड को प्रेषित है।

सहकारी संस्थाओं में वित्तीय अनुशासन बना रहे इस उद्देश्य से विभागीय अंकेक्षकों एवं सनदी लेखाकारों की सहायता से लगभग 90 प्रतिशत पैक्सों का अंकेक्षण करा लिया गया है।

सहकारिता आंदोलन का मूल आधार अधिकाधिक जन–भागीदारी है। इस जन–भागीदारी के लिये पैक्सों में सदस्यता का आवेदन ''ऑन–लाईन'' प्राप्त किया जा रहा है। सदस्यता हेतु ऑन–लाईन आवेदकों की संख्या अभी तक 8,19,407 हो गई है। जिसमें से आवेदकों का नियमानुसार निष्पादन हो चुका है, और 4,49,110 सदस्य बनाये जा चुके है।

राज्य में सब्जी उत्पादकों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य मिले एवं उपभोक्ताओं को बाजार से अपेक्षाकृत कम मूल्य पर तथा अधिक गुणवत्ता के साथ सब्जी उपलब्ध हो, के उद्देश्य से आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए बेहतर भंडारण, प्रसंस्करण एवं विपणन की व्यवस्था करने के साथ–साथ उत्पादों का मूल्य–संवर्द्धन हेतु त्रि–स्तरीय सहकारी संरचना का आधार तैयार किया जा रहा है। इस योजना के कार्यान्वयन के क्रम में सब्जी उत्पादकों की 10 जिलों में करीब 112 प्रखण्ड स्तरीय सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों का निबंधन किया जा चुका है। बिहार की सब्जी का Brand Name ''तरकारी'' है।

राज्य सरकार द्वारा फसल की क्षति होने पर क्षतिपूर्ति हेतु किसानों के हित में बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया गया है। इस योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2018 में 453005 लाभान्वित किसानों को 368.65 करोड़ रूपये एवं रबी वर्ष 2018–19 में कुल–180667 लाभान्वित किसानों को 74.40 करोड़ रूपये की सहायता राशि का भुगतान किया गया है। खरीफ 2019 मौसम हेतु 2494495 किसानों का निबंधन हो चुका है। रब्बी 2019–20 हेतु 09 फसलों के लिए किसानों के द्वारा निबंधन कराया जा रहा है।

पैक्सों/पैक्स संकुल में मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत कृषि संयंत्र उपलब्ध कराई जायेगी। इससे ग्रामीण स्तर पर कृषकों को कृषि कार्य में सुविधा होगी एवं पैक्सों के नियमित आय का स्रोत भी विकसित होगा।

अल्पकालीन कृषि साख समितियों के अतिरिक्त मत्स्यपालन, बुनकर, गृह निर्माण, दुग्ध उत्पादन एवं प्रसंस्करण, शहद उत्पादन एवं प्रसंस्करण आदि क्षेत्रों में भी सहकारी व्यवस्था एवं प्रबंधन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बाजार की निरंकुश शक्तियों पर नियंत्रण में सहकारी आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है।

मैं अत्यंत आशान्वित हूँ कि सहकारिता के माध्यम से राज्य की उद्यमशीलता को एक नयी दिशा देकर राज्य के सर्वांगीण विकास की नयी कहानी लिखना संभव है।

(राणा रणधीर)

विषय सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
1	प्रस्तावना	1-2
2	विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ	3-5
3	योजनाएँ एवं उपलब्धियाँ	6-19
	i. कृषि रोड मैप (2017–22)	6
	ii. अधिप्राप्ति	7
	iii. बिहार राज्य फसल सहायता योजना	8-9
	iv. भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि	10
	v. धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना	10
	vi. ड्रायर की स्थापना	11
	vii बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना,	11
	viii. समेकित सहकारी विकास परियोजना	12-17
	ix सहकार भवन	18
	x मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना	18
	xi वार्षिक योजना	19
4	सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ	20-23
	i. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख संरचना (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)	20
	ii. राज्य सहकारी बैंक लि॰	21
	iii. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰	22
	iv. प्राथमिक कृषि साख समितियाँ (पैक्स)	23
5	सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण	24
6	महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान	25
	i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र पूसा	
	ii. बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰	
	iii. बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि॰	
	iv. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार	
	v प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार	
	vi. व्यापार मंडल	26-29
7	बिहार राज्य भंडार निगम	30-31
8	सहकारिता विभाग में आई॰टी॰ का समावेश	32
परिशिष्ठ– I	विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ	33
परिशिष्ठ– II	राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या	34-35
परिशिष्ठ– III	विभिन्न योजनान्तर्गत गोदाम निर्माण एवं गैसीफायर आधारित राईस मिल की स्थापना से सम्बन्धित प्रतिवेदन	36
परिशिष्ठ– IV	विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना	37-38
परिशिष्ठ– V	सहकारिता विभाग का क्षेत्रीय कार्यालय	

1. प्रस्तावना

वर्ष **2019–20** में सहकारिता विभाग का वार्षिक प्रतिवेदन बिहार सरकार के ''न्याय के साथ समग्र विकास'' की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु आपके समक्ष उपस्थापित है। राज्य के सहकारी आन्दोलन का इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। सहकारी अर्थव्यवस्था आर्थिक जगत के निजी अर्थव्यवस्था एवं सरकारी अर्थव्यवस्था के बीच एक मध्यम मार्ग है। भूमंडलीकरण एवं उदारीकरण के दौर में भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सहकारी समितियों के माध्यम से समावेशी विकास आवश्यक है। इस कड़ी में समाज के वंचित वर्ग, छोटे उत्पादकों एवं महिलाओं के समुहों को प्रोत्साहित एवं संरक्षित करने हेतु वर्त्तमान सरकार प्रतिबद्ध है। राज्य के विभाजन के पश्चात् राज्य के आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण आधार कृषि और कृषि से संबद्ध अन्य क्षेत्र है।

सहकारिता विभाग राज्य के किसानों के हित में कृषि रोड–मैप के माध्यम से वर्तमान सामाजिक, आर्थिक एवं वाणिज्यिक परिवेश में सहकारिता को और अधिक प्रासंगिक एवं सबल बनाने हेतु सतत प्रयत्नशील है। चूँकि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार ग्रामीण क्षेत्र ही है, जिसकी उपेक्षा कर सशक्त भारत के निर्माण की कल्पना नही की जा सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहकारिता की अहम भूमिका को ध्यान में रखते हुए सहकारिता विभाग द्वारा सहकारी–नीतियों में व्यापक परिवर्तन लाया गया है। सहकारिता को और जनोपयोगी बनाने के लिये अनेक संस्थागत सुधार किए गए हैं तथा सहकारिता के कार्यकलापों को और अधिक पारदर्शी बनाने हेतु बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 में आवश्यक संशोधन भी किये गये हैं।

बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 में महत्त्वपूर्ण संशोधन करते हुए इसके अंतर्गत निबंधित समितियों में उनकी प्रबंधकारिणी का निर्वाचन अब स्वतंत्र एवं पारदर्शी रूप से बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा कराया जा रहा है।

बिहार की अर्थव्यवस्था में सहकारिता की भूमिका को रेखांकित करने के लिए विगत वर्षों में जिन कार्यक्रमों को प्रमुखता दी गयी है वे निम्नवत हैं :–

- भारत के संविधान में किये गये 97वें संशोधन के अनुरूप बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के प्रावधान में संशोधन किये गये हैं। सहकारी समितियों के प्रबंधन में अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के साथ–साथ 50% स्थान क्षैतिज आरक्षण के रूप में महिलाओं के लिये सुरक्षित किये गये हैं।
- पैक्सों को व्यापक जनाधार वाली संस्था के रूप में विकसित करने हेतु सदस्यता वृद्धि अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत पंचायत के प्रत्येक परिवार के न्यूनतम एक व्यक्ति को सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित है। इसके तहत ऑनलाईन आवेदन पैक्सों में सदस्यता हेतु 819407 प्राप्त है। साथ ही, पंचायत स्तर पर गठित प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (PACS) में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर जनतांत्रिक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है।
- बिहार सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलंबी सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1996 के अन्तर्गत निबंधित सभी प्रकार की कार्यरत सहकारी समितियों का बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निर्वाचन कराकर लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल की गई है।
- प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सभी श्रेणी के किसानों के हित में एक समावेशी योजना के रूप में खरीफ 2018 मौसम से बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य में लागू की गई है।
- वर्ष 2017–18 में 93 चावल मिल की स्थापना हेतु 77.45 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से 69.69 करोड़ रूपये राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2017–18 में 35 (बैकलॉग का) चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की जा चुकी है, एवं वर्ष 2018–19 में अबतक (बैकलॉग सहित) 42 पैक्सों/व्यापार मंडलों में चावल मिल की स्थापना कार्य पूर्ण हो चुका है।
- वर्ष 2017–18 में 35, 2018–19 में 42 एवं वर्ष 2019–20 में 50 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल का निर्माण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा कराते हुए अबतक 472 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की जा चुकी है, एवं 66 (बैकलॉग सहित) चावल मिल निर्माणाधीन/लम्बित है।

- भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु बिहार कृषि रोड मैप योजना अतंर्गत वितीय वर्ष 2012–17 तक बिहार राज्य के लिए 10.00 लाख मे॰ टन क्षमता वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध 2018–19 तक 3.10 लाख मे क्षमता का अभिवृद्धि हो चुका है।
- वर्ष 2012–17 में कृषि रोड मैप अन्तर्गत पैक्स/व्यापार मंडलों में भंडारण क्षमता के सृजन का लक्ष्य 10.75 ल निर्धारित की गयी हैं इस लक्ष्य के अनुरूप वर्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के म तक 5826 पैक्स/व्यापार मंडलों में 1000/500/200 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया जा चुका है, भंडारण क्षमता 11.696 लाख मे॰टन है, जबकि 650 गोदाम निर्माणाधीन है जिससे 1.62 लाख मे॰ टन क्षमत हो सकेगा।
- खरीफ विपणन वर्ष 2019–20 में दिनांक 03.02.2020 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 3.36 लाख मे0 टन धान क कर ली गई है।
- मुख्यमंत्री नवाचार योजना अन्तर्गत राज्य में सब्जी के उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन हेतु सहकारी समिति किया जा रहा है। अभी तक विभिन्न जिलों में 112 प्रखंड स्तरीय प्राथमिक सब्जी कृषक सहयोग समितियों किया गया है।
- समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत पैक्सों/व्यापार मंडलों के आधारभूत संरचना को विकसित किया इस परियोजनान्तर्गत गोदाम निर्माण, चावल मिल एवं गैसीफायर का भी निर्माण कराया जा रहा हैं साथ ही रो कार्यक्रमों यथा मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, मुर्गी पालन एवं मधुमक्खी पालन का क्रियान्वयन भी किया जा र योजना के अंतर्गत महिलाओं का क्षमता वर्द्धन कार्यक्रम, प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना एवं चयनित समितियों के कुटीर उद्योगों के विस्तार तथा पणन को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इन कार्यो के लिए आधारभूत संरचना के साथ–साथ समितियों में व्यवसाय विकास के लिए मार्जिन मनी के रूप में सहायता देने का प्रावधान है।
- मानव संसाधन के विकास हेतु गहन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्त्तमान में राज्य के 10 जिलों में यह कार्यान्वित की जा रही है तथा 16 जिलों में इस योजना को लागू करने की प्रक्रिया चल रही है।
- राज्य के सभी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं बिहार राज्य सहकारी बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से ब इसेंस प्राप्त हो चुका है एवं सभी सहकारी बैंको द्वारा Core Banking Solution (CBS) के अंतर्गत कार्य किया जा रहा है। राज्य के सहकारी बैंको की कार्य–कुशलता को अन्य व्यवसायिक बैंको के समतुल्य उद्देश्य से भारत की प्रतिष्ठित संस्थान आई0 बी0 पी0 एस0 के माध्यम से वर्ष 2016 में 436 सहायक तक कुल 123 सहायक–प्रबंधक की नियुक्ति की जा चुकी है। साथ ही इस वर्ष 326 सहायक एवं 108 प्रबंधक की नियुक्ति की जा रही है। राज्य के सहकारी बैंकों के द्वारा अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने 128 ए0 टी0 एम0, 500 माईक्रो ए0 टी0 एम0 एवं 15 मोबाईल वैन ए0 टी0 एम0 का सफल संचालन रहा है। यहाँ उल्लेखनीय हैं कि नाबार्ड से राज्य के सहकारी बैंकों में कुल 136 ए0 टी0 एम0 एवं 71 ए0 टी0 एम0 एवं 23 मोबाईल वैन ए0 टी0 एम0 स्थापित करने की स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। ग्र बीच लगभग 2.16 लाख रूपे/किसान क्रेडिट कार्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए0 टी0 एम0 कार्ड किया गया है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्त्ताओं की नियुक्ति की गई है।

2. विभाग की मुख्य उपलब्धियाँ

क्र०सं०	योजना	निबंधित कृषकों की संख्या	लाभान्वित किसानों की संख्या	किसानों को भुगतान की गई राशि
1.	बिहार राज्य फसल सहायता योजना			
	(क) बिहार राज्य फसल सहायता योजन (खरीफ 2018)	1150527	453005	368.65 करोड़ रूपये
	(ख) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2018–19)	1754350	180667	74.40 करोड़ रूपये
	(ग) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (खरीफ 2019)	2494495	–	–
	(घ) बिहार राज्य फसल सहायता योजना (रबी 2019–2020) 19.02.2020	1606307	–	–
2.	अधिप्राप्ति			
	(क) खरीफ 2018–19 मौसम (धान)	6121 (चयनित) 5019 (कार्यशील) पैक्स/व्यापारमण्डल	14.16 लाख मे.टन	
	(ख) रब्बी 2018–19 मौसम (गेहूँ)	1628 (चयनित) पैक्स/व्यापारमण्डल	2815.75 मे. टन	
	(ग) खरीफ 2019–20 मौसम (धान)	6057 (चयनित) पैक्स/व्यापारमण्डल	5.39 लाख मे.टन (19.02.2020)	
3.	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना/राज्य योजना			
	(क) वर्ष 2017–18 में पैक्स/व्यापारमंडल में गा. `दाम निर्माण हेतु	लक्ष्य (राज्य योजना) 914	उपलब्धि (राज्य योजना, RKVY) 196 पूर्ण (बैकलॉग सहित)	
	(ख) वर्ष 2017–18 में पैक्स/व्यापार मंडल में गैसीफायर–सह–चावल मिल की स्थापना हेतु।	80 पैक्स/व्यापारमंडल चावल मिल (ड्रायर सहित) एवं 13 पैक्स/व्यापारमंडल (ड्रायर रहित) कुल–93	35 पूर्ण (बैकलॉग सहित)	
4.	कृषि रोड मैप			
	(क) वर्ष 2018–19 में गोदाम निर्माण	लक्ष्य–1250	लक्ष्य–175 करोड़ रू.। स्वीकृत 83.9042 करोड़ रू. के सापेक्ष में, 83.13 करोड़ रू. जिलों को उपलब्ध कराया दिया गया है।	
	(ख) वर्ष 2018–19 में विद्युत आधारित (ड्रायर सहित) चावल मिल की स्थापना	लक्ष्य–90	लक्ष्य–69.975 करोड़ रू.। 6 समितियों में 4.647 करोड़ रू० राशि की निकासी जिला द्वारा की गई है।	
5.	समेकित सहकारी विकास परियोजना			
	(क) पूर्व में कार्यान्वित जिले	गेपालगंज, मधुबनी, गया, सीतामढ़ी, आरा, छपरा, सीवान, कैमूर, खगड़िया, शिवहर, वैशाली एवं नालन्दा	19496.99 लाख रू. की लागत से।	
	(ख) कार्यान्वित किये जा रहे जिलें	जहानाबाद, अररिया, मोतिहारी, औरंगाबाद, बेगूसराय, दरभंगा, बेतिया एवं पूर्णियाँ	54255.57 लाख रू. की लागत से।	

	(ग) जिला जो आच्छादन के प्रक्रिया में है।	16 जिला लखीसराय, जमुई, अरवल, पटना, नवादा, सहरसा, सुपौल, कटिहार, बाँका, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, किशनगंज, मधेपुरा, शेखपुरा एवं समस्तीपुर	
	समेकित सहकारी विकास परियोजना की भौतिक उपलब्धि		
	(क) पैक्सों में गोदाम निर्माण (पूर्व में कार्यान्वित किये गये जिलों में)	1158	
	(ख) पैक्सों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	612 का कार्यादेश निर्गत, 471 पूर्ण, 141 निर्माणाधीन	
	(ग) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (पूर्व में कार्यान्वित किये गये जिलों में)	74	
	(घ) व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण (कार्यान्वित किये जा रहे जिलों में)	17 का कार्यादेश निर्गत, 12 पूर्ण, 5 निर्माणाधीन	
	(ङ) परियोजनान्तर्गत प्रशिक्षित सहकारी समितियों के पद धारक/सदस्य	पूर्व में कार्यान्वित जिलों में 151388	कार्यान्वित की जा रही जि 1898 (मार्च 2019 तक)
	समेकित सहकारी विकास परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक उपलब्धि **(वर्ष 2018–19)**	8263.55 लाख रूपये का व्यवसाय (मार्च 2019 तक)	
6.	**अल्पकालीन कृषि ऋण का वितरण**		
	(क) वर्ष 2018–19 खरीफ मौसम हेतु।	सदस्य– 48928	13782.21 लाख रूपये वित
	(ख) वर्ष 2018–19 में रबी मौसम हेतु।	सदस्य–41726	9541.64 लाख रूपये विति
	(ग) किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण। वर्ष 2019–20(दिनांक–31.12.2019 तक)	सदस्य–41151	10097.85 लाख़ रूपये स्वी
7.	**बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना**		
	योजनान्तर्गत त्रि–स्तरीय सहकारी व्यवस्था के तहत प्रखंड स्तर पर पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, नालंदा, प0 चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, में कुल–112 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियों का निबंधन हो चुका है।	वित्तीय वर्ष 2018–19 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा कुल मो॰ 20.39 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है।	बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्कर विपणन योजनान्तर्गत प्रखण्ड स निर्माण कार्य के लिए 46 स्तरीय समितियों में भूमि उपल चुकी है तथा इसमें से 26 समिति भूमि निबंधित। चंलत रिटेल आ में विक्रय से सब्जी के क्रय मू आलोक में दिसम्बर 2019 समेकित आय 69.29 लाख रू0।
8.	**पैक्सों में सदस्यता अभियान**		
	राज्य में कुल 8463 पैक्सों में 11664441 (एक करोड़ सोलह लाख चौसठ हजार चार सौ एकतालीस) सदस्य है जिसमें 35.95 (पैंतीस लाख पंचानवें हजार) लाख महिलायें है।	पैक्सों में सदस्यता वृद्धि के लिए ऑनलाईन आवेदन प्रक्रिया दिनांक 05.10.2017 से प्रारम्भ की गयी है, जिसके तहत् अब तक पैक्सों में सदस्यता के लिए 819407 आवेदन प्राप्त हुए तथा जिसमें से आवेदकों का नियमानुसार निष्पादन हो चुका है।	

9.	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना		
	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना है जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य की कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक हस्तक्षेप संभव हो।	इस योजना के लिए कुल मो॰ 1692.60 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रति पैक्स 20.00 लाख रू0 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु दी जानी है।	राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50% अनुदान के रूप में राषि उपलब्ध करायी जायेगी। पैक्सों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली राषि 05 (पाँच) वर्षों में 10 (दस) किस्तों में सूद सहित वसूल की जायेगी। सम्प्रति इस वित्तीय वर्ष में 2917 पैक्सों को कृषि संयंत्र योजना के तहत प्रति पैक्स 15 लाख रूपये की दर से प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराते हुए Gem Portal के माध्यम से कृषि संयंत्र के क्रय की कार्रवाई प्रक्रियान्तर्गत है।
10.	सहकार भवन		
	सहकारिता विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक स्थान पर अवस्थित कराने के उद्देष्य से सहकार भवन का निर्माण।	राज्य योजना अंतर्गत कुल लागत 56.33 करोड़ से पाँच प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी, भागलपुर, गया (मगध), पूर्णियाँ एवं 17 जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बांका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर, पूर्वी चंपारण, रोहतास, समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, आरा, नवादा, वैशाली, जहानाबाद, अररिया तथा सीतामढ़ी में कुल 22 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है।	
11.	पैक्स कम्प्युटरीकरण		
	भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चरणबद्व तरीके से तीन वित्तीय वर्षों में पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण किया जाना है।	इस योजना के अन्तर्गत राज्य के 8463 पैक्सों के कम्प्युटरीकरण के लिये खर्च का वहन 60% भारत सरकार 35% राज्य सरकार एवं 5% संबंधित समिति द्वारा वहन किया जायेगा। राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त कार्यषील पैक्सों की सूची नाबार्ड को प्रेषित कर दिया गया है। भारत सरकार के उपर्युक्त योजना की प्रतिक्षरत अवधि में राज्य के 500 पैक्सों का पायलट आधार पर कम्प्युटरीकरण की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है साथ ही 7963 पैक्सों में NIC द्वारा विकसित App के अनुरूप डिजिटलाइजेशन का कार्य प्रक्रियाधीन है।	
12.	मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना		
	सुषासन के कार्यक्रम 2016-20 में पैक्सों को आदर्ष पैक्स के रूप में विकसित करने हेतु स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से "मुख्यमंत्री आदर्ष पैक्स योजना" लागू की गयी है।	इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अनुमंडल के 2 पैक्सों एवं राज्य स्तर पर 3 पैक्सों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किये जाने की योजना है।	अनुमंडल स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख, तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले पैक्सों को क्रमषः 10, 07 एवं 05 पाँच लाख रूपये की प्रोत्साहन राषि दी जायेगी, ताकि वे अपने कार्यो में वृद्धि कर सकें।

3. योजनायें एवं उपलब्धियाँ

I. कृषि रोड मैप (2017–2022)

राज्य के कृषि रोड मैप 2017–22 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहकारी समितियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदा गई है। सहकारी समितियाँ अधिसंरचनात्मक–संस्थागत–तकनीकी–प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रभावकारी हस्तक्षेप के माध्यम से लक्ष प्राप्त करने हेतु कृतसंकल्पित है। आधारभूत संरचना खासकर भंडारण क्षमता में वृद्धि, विद्युत आधारित चावल मिल–सह– की स्थापना, सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का कार्यान्वयन, किसानों को कृषि आदानों की उपलब्धता, कुक्कुट बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं कृषि प्रसंस्करण के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन रोड मैप के लक्ष्यों को करने हेतु विभाग के द्वारा महत्वपूर्ण पहल है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पैक्सों का सुदृढ़ीकरण एवं सदस्यता, वृद्धि, का कम्प्यूटराईजेशन तथा सहकारी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास क्षमता निर्माण हतु परिकल्पित हैं।

1. आधारभूत संरचना का विकास :–

(क) **सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण** :– वर्तमान में सहकारी समितियों की कुल भंडारण क्षमता 9.943 ला टन है। 2017–2022 की अवधि में इसमें 10 लाख मे॰ टन क्षमता की और वृद्धि की जानी है, जिसका अनुमानित 700 करोड़ रुपये है।

(ख) **02 मे॰ टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर की स्थापना** :– अधिप्राप्ति को सहज तथा राज्य खाद्य निगम को ससमय चावल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु 2017 से 2022 की अवधि में पैक्स/ मंडलों में 260 विद्युत आधारित चावल मिल–सह–ड्रायर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिसका अनु व्यय 201 करोड़ रुपये है।

2. बिहार सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना :–

राज्य के सब्जी उत्पादन, संग्रहण, मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु यह अत्यंत अहम् योजना है, जिसका क्रिया त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के माध्यम से इस प्रकार किया जायेगा कि सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य प्राप्त हो तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध हो सके। इस योजना को कृषि रोड मैप 2017– में शामिल किया गया है। प्रथम चरण में पाँच जिलों–पटना, नालन्दा, बेगूसराय, समस्तीपुर एवं वैशाली को मिलाक सब्जी उत्पादक सहकारी संघ का गठन प्रस्तावित है तथा द्वितीय चरण में तीन और संघों का गठन किया जायेगा।

3. संस्थागत विकास :–

(क) **पैक्सों में सदस्यता अभियान** :– प्रत्येक परिवार से कम–से–कम एक सदस्य विशेषकर महिलाओं को पैक सदस्य बनाया जाना है, जिसके निमित्त ऑनलाईन आवेदन हेतु एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। पैक्स वर्तमान सदस्यता 1.16 करोड़ के आस–पास है।

(ख) **पैक्सों का कम्प्यूटराईजेशन** :– 2017–18 से प्रारम्भ होते हुए अगले तीन वर्षो में इस प्रक्रिया को पूरा किया है। इस योजना के लागू होने से पैक्सों का कार्यकलाप पारदर्शी एवं प्रभावकारी हो जायेगा।

(ग) **आर्दश पैक्स योजना** :– सभी जिलों के चुनिंदा पैक्सों/व्यापार मंडलों को कृषि उपकरण बैंक के रूप में वि किया जायेगा, जहाँ कृषकों को कृषि कार्य करने हेतु आवश्यक संसाधन एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगे

4. समेकित सहकारी विकास परियोजना का विस्तार :–

राज्य के सहकारी समितियों के समग्र विकास हेतु समेकित सहकारी विकास परियोजना का विस्तार राज्य के वैसे में किया जायेगा, जो अभी तक इस परियोजना से अनाच्छादित हैं। परियोजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षे रोजगारोन्मुखी कार्यक्रमों को बढ़ावा देना है, जिससे कुक्कुट पालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन एवं प्रसंस्करण क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन हो सके। अगले पाँच वर्षों में परियोजना के कार्यक्रम 400 करोड़ रूपये की अनुमानित राशि का व्यय किया जायेगा।

5. मानव संसाधन विकास :–

कृषि रोड मैप 2017–2022 के अंतर्गत सहकारी प्रशिक्षण संस्थान, पूसा का आधुनिकीकरण, सदस्यों एवं विभागीय क के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के कार्यक्रम प्रावधानित हैं, जिस हेतु 38.81 करोड़ की राशि खर्च की जानी है।

II. अधिप्राप्ति

राज्य के कृषकों को उनके कृषि उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त कराने हेतु अधिप्राप्ति एक महत्वपूर्ण योजना है। राज्य में धान के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। कृषकों को आपात बिक्री (Distress Sale) से बचाने में अधिप्राप्ति का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके द्वारा कृषकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है।

- वर्ष 2019–20 के लिए 30.00 लाख मे॰ टन धान क्रय का सांकेतिक लक्ष्य निर्धारित है।
- भारत सरकार ने इस वर्ष 2019–20 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (साधारण धान) 1815/– रुपये एवं ग्रेड । धान के लिए 1835/– रुपये प्रति क्विंटल अधिसूचित किया है।
- वर्ष 2018–19 से किसानों को गनी बैग मद में रू० 25/– प्रति क्विंटल की दर से न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ भुगतान किये जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है, जिसका लाभ किसानों को लगातार प्राप्त हो रहा है।
- वर्ष 2018–19 से अधिप्राप्ति कार्य को और अधिक पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण बनाने हेतु किसानों के निबंधन में कृषि विभाग की निबंधन संख्या को अनिवार्य बनाया गया है।
- रैयत कृषकों के लिए धान बिक्री की सीमा को प्रति कृषक 200 क्विंटल एवं गैर रैयत कृषकों के लिए प्रति कृषक 75 क्विंटल किया गया है ।
- वर्ष 2018–19 के तहत इस वर्ष भी अन्तर्गत निर्धारित सीमा के अन्तर्गत प्रति कृषक धान बेचने की सीमा गत वर्ष की भाँति दो है, जिसका प्रत्यक्ष लाभ किसानों को प्राप्त हो रहा है।
- नमी प्रबंधन हेतु सहकारिता विभाग के स्तर से राईस मिल वाले पैक्स/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापना की कार्रवाई की जा रही है।
- अधिप्राप्ति कार्य में पूर्ण पारदर्शिता हेतु Online Procurement Management System के अन्तर्गत Mobile Application के माध्यम से अधिप्राप्ति कार्य का संचालन, पर्यवेक्षण किया जा रहा है।
- भारत सरकार द्वारा प्राप्त निदेश के आलोक में इस वर्ष किसानों का भुगतान PFMS प्रणाली के माध्यम से ऑनलाईन 48 घण्टे के भीतर किये जाने का प्रावधान है।
- पारदर्शी व्यवस्था अन्तर्गत किसानों से क्रय किये गये धान एवं उसके भुगतान सहित सभी प्रकार के आंकड़े Public Domain के माध्यम से सर्वसुलभ किये गये है।

वर्ष	धान (मात्रा लाख मे॰टन)	
	लक्ष्य	उपलब्धि
2015–16	27.00	18.23
2016–17	30.00 (सांकेतिक)	18.42
2017–18	30.00 (सांकेतिक)	11.84
2018–19	30.00 (सांकेतिक)	14.16
2019–20	30.00 (सांकेतिक)	5.39 (दिनांक 19.02.2020)

III. बिहार राज्य फसल सहायता योजना

प्रतिकूल मौसम के कारण फसलों के उत्पादन में ह्रास की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सभी श्रेणी के कि के हित में एक समावेशी योजना के रूप में खरीफ 2018 मौसम से बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य में लागू की गई

1. उद्देश्य :– प्राकृतिक आपदाओं यथा–बाढ़, सुखाड़ तुषारापात आदि कारणों से फसलों के उत्पादन में हुए ह्रास की स्थि में किसानों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए, उन्हें आगामी फसल के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना प्रति परिस्थितियों में किसानों की आय में निरंतरता बनाए रखना तथा किसानों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करते हुए रा में कृषि को लाभप्रद व्यवसाय के रूप में विकसित करना इस योजना का मूल उद्देश्य है।

2. इन्डेमनिटि स्तर :– राज्य के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना में 70 प्रतिशत इन्डेमनिटि स्तर प्रावधान किया गया है।

3. बिहार राज्य फसल सहायता योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्न प्रकार है :–

   (i) आच्छादित क्षेत्र :– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा फसल कटनी हेतु अधिसूचित योजनान्तर्गत आच्छादित होंगे।

   (ii) आच्छादित फसल :– अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा अधिसूचित फसलों में से इस यो के प्रयोजनार्थ राज्य स्तरीय समन्वय समिति (SLCC) द्वारा चयनित फसल आच्छा फसल माना जाएगा।

   (iii) आच्छादित किसान :–

   (क) **रैयत किसान** :– ऐसे सभी किसान जो अपनी रैयती भूमि पर खेती स्वयं करते हो।

   (ख) **गैर–रैयत किसान** :– ऐसे सभी किसान जो दूसरे रैयतों की भूमि पर खेती करते हो। गैर–रैयत कि श्रेणी में एक परिवार (आर्थिक–सामाजिक जनगणना के अनुसार) से एक सदस्य इस योजना के त निबंधन करा सकेंगे।

   (iv) आवेदन पत्र :– इस योजना के तहत् आच्छादन हेतु सभी इच्छुक किसानों को प्रत्येक मौसम में योजना पोर्टल पर ऑनलाईन निबंधन कराना अनिवार्य है। ऑनलाईन निबंधन के द्वारा ही आवे मान्य होगा तथा अनिबंधित किसानों का आवेदन अमान्य होगा।

4. फसल कटनी प्रयोग :– इस योजना के तहत प्रत्येक पंचायत में न्यूनतम 04 एवं प्रत्येक प्रखण्ड में न्यूनतम 16 त प्रत्येक जिला स्तरीय फसल हेतु 24 फसल कटनी प्रयोग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा संचालित करना अपेक्षित

5. योजना का नोडल विभाग :– इस योजना के कार्यान्वयन हेतु सहकारिता विभाग नोडल विभाग है। नोडल वि इस योजना हेतु गठित राज्य स्तरतीय समन्वय समिति (SLCC) के अनुमोदन से इस योजना हेतु कार्यकारी नि जारी करने हेतु सक्षम है।

6. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समय–सीमा :– बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ मौसम मई से जुलाई माह तक एवं रबी मौसम का अक्टूबर से दिसम्बर माह तक पात्र किसानों का ऑनलाईन निबंधन अ निर्धारित है। राज्य के किसानों के हित में आवश्यकतानुसार इसमें परिवर्तन किया जा सकता है।

7. सहायता राशि का मूल्यांकन एवं सहायता राशि की अधिसीमा :–

   (i) अधिसूचित फसल हेतु संबंधित पंचायत/प्रखण्ड का विगत 07 वर्षों के औसत उपज दर पर निर्धारित थ्रेसहो उपज दर के सापेक्ष वर्त्तमान मौसम में संबंधित फसल के फसल कटनी प्रतिवेदन के आधार पर प्राप्त वास्तवि उपज दर में ह्रास की मात्रा (प्रतिशत में) की गणना करते हुए अधिकतम 02 हेक्टेयर भूमि हेतु सहायता रा अनुमान्य होगी।

   (ii) थ्रेशहोल्ड उपज दर के सापेक्ष वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत तक ह्रास की स्थिति में 7,500 रूपये प्र हेक्टेयर के दर से अधिकतम 15,000 रूपये सहायता राशि अनुमान्य है।

   (iii) थ्रेशहोल्ड उपज दर के सापेक्ष वास्तविक उपज दर में 20 प्रतिशत से ज्यादा ह्रास की स्थिति में 10,000 प्र हेक्टेयर की दर से अधिकतम 20,000 रूपये सहायता राशि अनुमान्य है।

8. **सहायता राशि की स्वीकृति एवं भुगतान :–** निबंधित किसानों के लिए फसल कटनी प्रयोग के फलाफल के आधार पर अनुमान्य सहायता राशि ऑनलाईन पोर्टल पर स्वतः परिकलित एवं परिलक्षित होने के पश्चात् बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ पटना द्वारा किसानों के खाते में DBT के माध्यम से सहायता राशि हस्तांतरित कर दिया जायेगा। इस योजना के तहत् किसानों को कोई राशि नहीं देनी है, बैंक नहीं जाना है तथा सहायता राशि स्वतः उनके खाते में हस्तांतरित होनी है।

9. **बिहार राज्य फसल सहायता योजना की प्रगति निम्नवत है :–**

क्र॰सं॰	मौसम का नाम	निबंधित किसानों की संख्या	रैयत किसानों की संख्या	गैर–रैयत किसानों की संख्या	रैयत एवं गैर रैयत किसानों की संख्या	लाभान्वित कृषकों की संख्या (वर्त्तमान में)	सहायता राशि का भुगतान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	खरीफ 2018	11,50,527	5,15,258	6,35,269	——	4,53,005	368.65 करोड़ रू0	
2	रबी 2018–19	17,54,350	8,65,807	8,88,543	——	1,80,667	74.40 करोड़ रू0	
3	खरीफ 2019	24,94,495	11,20,162	13,70,287	4046		——	किसानों का सत्यापन कार्य सम्पन्न करने के पश्चात् सहायता राशि का भुगतान मार्च एवं अप्रैल 2020 में किया जायेगा।
4	रबी 2019–20 (19.02.2020)	1606307	542249	639809	——	——	——	

IV. भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि

राज्य में भंडारण क्षमता की कमी हो देखते हुए सरकार द्वारा कृषि रोड मैप (2012–17) में इसे प्राथमिकता देते हुए प्रमुख घटक के रूप में शामिल किया गया तथा इसके तहत वर्ष 2017 तक, पैक्स व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता के गोदाम का निर्माण कराते हुए सहकारी क्षेत्र में भंडारण क्षमता में कुल 10.75 लाख मे॰टन अभिवृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विरूद्ध कृषि रोड मैप 2012–17 अंतर्गत विगत 05 वर्ष में राज्य योजना के माध्यम से कुल 2996 पैक्सों/व्यापार मंडलों में विभिन्न क्षमता का गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र के भंडारण क्षमता में 6.859 लाख मे॰टन की अभिवृद्धि करायी गई।

कृषि रोड मैप (2017–22) में पैक्स/व्यापार मंडल में विभिन्न क्षमता के गोदाम निर्माण कराते हुए राज्य के सहकारी क्षेत्र में 10 लाख मे॰टन भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि राज्य के सभी 8463 पैक्स एवं 521 व्यापार मंडल का अपना गोदाम उपलब्ध हो सके।

उपरोक्त आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में 128 करोड़ रूपये के लागत से 914 पैक्स/व्यापार मंडलों में कम से कम 200 मे॰टन क्षमता के गोदाम निर्माण का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध विभाग द्वारा 277 पैक्स/व्यापार मंडलों को 38.78 करोड़ रूपये राशि उपलब्ध कराते हुए 196 गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.501 लाख मे॰ टन क्षमता में अभिवृद्धि हुई है।

वर्ष 2018–19 में 175 करोड़ रूपये के लागत से सहकारी क्षेत्र में पैक्स/व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण कराते हुए 2.50 लाख मे॰टन अतिरिक्त भंडारण क्षमता का सृजन किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध 389 पैक्स/व्यापार मंडलों को 83.13 करोड़ रूपये की राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2018–19 में (बैकलॉग सहित) 332 पैक्स/व्यापार मंडलों में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.704 लाख मे॰टन क्षमता में अभिवृद्धि हुई है। वर्ष 2019–20 में अब तक (बैकलॉग सहित) 215 पैक्सों/व्यापारमण्डलों में गोदाम निर्माण का कार्य कराया जा चुका है, जिससे 0.552 लाख मे0टन क्षमता की अभिवृद्धि हुई है।

वर्त्तमान में सहकारिता विभाग द्वारा राज्य में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से अब तक 5826 पैक्स/व्यापार मंडलों में 1000/500/200 मे॰टन क्षमता का गोदाम निर्माण कराया जा चुका है, जिसकी कुल भंडारण क्षमता 11.696 लाख मे॰टन है, जबकि 660 गोदाम निर्माणाधीन है जिससे 1.62 लाख मे॰टन क्षमता का निर्माण हो सकेगा।

V. धान प्रसंस्करण इकाई की स्थापना

राज्य में पैक्स/व्यापारमंडल द्वारा अधिप्राप्ति किये जाने वाले धान के प्रसंस्करण हेतु कृषि रोड मैप (2012–17) में कुल 350 चावल मिल गैसीफायर संयंत्र के साथ RKVY योजना के माध्यम से स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित था, जिसके विरूद्ध 345 चावल मिल–सह–गैसीफायर संयंत्र का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया था, जिसमें वर्ष 2016–17 में निर्मित 62 चावल मिल (बैकलॉग के साथ) भी सन्निहित था।

इसके अतिरिक्त वर्ष 2017–18 में 35 एवं 2018–19 में 42 एवं 2019–20 में अबतक (बैकलॉग सहित) 50 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल का निर्माण विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पूरा कराते हुए अबतक 472 पैक्स/व्यापार मंडलों में चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की जा चुकी है, एवं 66 (बैकलॉग सहित) चावल मिल निर्माणाधीन/लम्बित है।

कृषि रोड मैप (2017–22) में कुल 260 पैक्स/व्यापार मंडलों में 02 मे॰टन क्षमता के विद्युत आधारित चावल मिल ड्रायर के साथ स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके विरूद्ध वर्ष 2017–18 में 80 चावल मिल के निर्माण की स्वीकृति राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत दी गई है। साथ ही, 13 चावल मिल जो वर्ष 2016–17 में निर्मित कराया जाना था, किन्तु कतिपय कारण से इसका निर्माण नहीं हो पाया था, उसका भी वर्ष 2017–18 में पुर्नवैधिकरण किया गया है। फलतः वर्ष 2017–18 में 93 चावल मिल की स्थापना हेतु 77.45 लाख रूपये प्रति इकाई की दर से 69.69 करोड़ रूपये राशि जिला को उपलब्ध करा दिया गया है। वर्ष 2017–18 में 35 (बैकलॉग का) चावल मिल–सह–गैसीफायर की स्थापना की चुकी है एवं वर्ष 2018–19 में (बैकलॉग सहित) 42 एवं वर्ष 2019–20 में (बैकलॉग सहित) 50 पैक्सों/व्यापार मंडलों में चावल मिल की स्थापना कार्य पूर्ण हो चुका है। 66 समितियों (बैकलॉग सहित) में स्थापना कार्य निर्माणाधीन है।

VI. ड्रायर की स्थापना

पैक्स/व्यापार मंडलों द्वारा अधिप्राप्ति किये गये धान के नमी प्रबंधन हेतु राज्य में पूर्व से स्थापित चावल मिल के साथ विभाग द्वारा 12 मे॰टन (प्रति पाली) क्षमता के ड्रायर की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो आगामी 05 वर्ष में phasewise कुल 441 पूर्व स्थापित/निर्माणाधीन स्वीकृत चावल मिल के साथ लगाये जायेंगे।

इस योजना के तहत् वर्ष 2017–18 में 40 पैक्स/व्यापार मंडलों में स्थापित करने हेतु आवश्यक राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें 37 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है शेष का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

वर्ष 2018–19 में 38 पैक्स/व्यापार मंडलों में ड्रायर स्थापित करने हेतु कुल 6.84 करोड़ रूपये की राशि जिलों को उपलब्ध करा दी गई है, जिसमें 34 समितियों में ड्रायर स्थापित किया जा चुका है। शेष का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है।

VII. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना

- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने एवं ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण तथा उचित मूल्य पर सब्जी आपूर्ति किया जाना है।
- योजना के कार्यान्वयन के लिए त्रिस्तरीय सहकारी संरचना की अवधारणा की गई है जिसमें प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादकों को प्राथमिक समिति, कुछ जिलों के प्रखंड स्तरीय प्राथमिक समितियों को मिलाकर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन संघ तथा राज्य स्तर पर फेडरेशन गठित किया जाना है।
- योजना के प्रथम चरण में इसे 5 (पाँच) जिलों–पटना, नालन्दा, वैशाली, समस्तीपुर एवं बेगुसराय में लागू किया गया है जहाँ अबतक 95 प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियाँ निबंधित हो चुकी है तथा इन प्रखंड स्तरीय समितियों को मिलाकर हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰, पटना का निबंधन हो चुका है। प्रखण्ड स्तर पर निर्माण कार्य के लिए 46 प्रखण्ड स्तरीय समितियों में भूमि उपलब्ध हो चुकी है तथा इसमें से 26 समितियों में भूमि निबंधित।
- शीर्ष स्तर पर फेडरेशन का गठन प्रक्रियाधीन है।
- योजना के अगले चरण में पाँच जिलों यथा पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर एवं सीतामढ़ी को सम्मिलित करते हुए तिरहुत सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰ पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी) का भी गठन किया गया है।
- परियोजनान्तर्गत त्रिस्तरीय सहकारी व्यवस्था के तहत प्रखंड स्तर पर दस जिलों में कुल 112 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहयोग समितियाँ का निबंधन हो चुका है।
- इस योजना का ब्रांड–**"तरकारी"** है। तत्काल संघ द्वारा सब्जी व्यवसाय के वास्तविक अनुभव को प्राप्त करने एवं इस में निहित चुनौतियों के आकलन के उद्देश्य से कार्यरत मोबाईल वैन के माध्यम से पटना शहरी क्षेत्र में सब्जी बिक्री की जा रही है।
- राज्य में सहकारी प्रक्षेत्र के माध्यम से सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2018–19 में रूपये 20.39 (बीस करोड़ उनचालिस लाख) व्यय की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है।
- चंलत रिटेल आउटलेट में विक्रय से सब्जी के क्रय मूल्य के आलोक में दिसम्बर 2019 तक समेकित आय 69.29 लाख रू0।
- यह योजना बिहार राज्य के कृषि अर्थव्यवस्था में मील का पत्थर साबित होगा।

VIII. समेकित सहकारी विकास परियोजना

राज्य में सहकारिता को सबल बनाने हेतु राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से परियोजनाएँ चलायी जा रही है। इस परियोजना के तहत जिलों में चयनित विभिन्न प्रकार के सहकारी समितियों विशेषकर पैक्सों/व्यापार मंडलों में :-

- अधिसंरचना निर्माण (गोदाम -सह- कार्यालय)।
- व्यवसाय विकास एवं सहकारी क्षेत्र में प्रशिक्षण के माध्यम से मानव संसाधन का विकास करना है।
- मत्स्य पालन, बुनकर, मधुमक्खी पालन, कुक्कुट पालन, बकरी पालन, कृषि प्रसंस्करण, महिला विकास, पणन आदि का भी विकास करना है।

इस योजना अन्तर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली से राज्य सरकार को ऋण एवं अनुदान की राशि उपलब्ध करायी जाती है। निगम द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अनुदान का अनुपात करीब 25 प्रतिशत है। यह राशि निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति (Re-imbursement) के आधार पर उपलब्ध करायी गयी है। योजना से कार्यान्वयन हेतु स्थापना आदि खर्च के लिए प्रावधानित अनुदान की राशि में निगम एवं राज्य सरकार का अनुपात 50-50 का है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्तर पर निबंधक, सहयोग समितियाँ के अधीन एक अनुश्रवण कोषांग गठित है। जिला स्तर पर जिला कार्यान्वयन दल का गठन किया जाता है जिसके प्रमुख महाप्रबंधक होते हैं तथा महाप्रबंधक के अधीन प्रबंधक साख, विकास पदाधिकारी एवं अन्य कार्मिक पदस्थापित होते हैं। इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष निर्धारित है। इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करने के निमित्त राज्य स्तर पर राज्य स्तरीय समन्वय समिति एवं जिला स्तर पर जिला स्तरीय समन्वय समिति गठित है। राज्य स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष प्रधान सचिव/सचिव, सहकारिता विभाग एवं जिला स्तरीय समन्वय समिति के अध्यक्ष उस जिला, जहाँ यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, के जिला पदाधिकारी होते हैं। परियोजना के सफल संचालन हेतु कर्मचारियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति हेतु कार्मिक चयन समिति भी गठित है।

इस परियोजना के तहत् मानव संसाधन के विकास पर विशेष बल दिया जा रहा है। जिसके अन्तर्गत समितियों के प्रबंधक निदेशक मंडल के सदस्यों एवं आम सदस्यों को प्रबंधकीय विकास, वित्तीय प्रबंधन एवं व्यवसाय विकास हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि समितियों के निर्वाचित पदाधिकारियों/कर्मचारियों को सहकारिता के सिद्धान्तों एवं व्यवहारिक पक्ष का ज्ञान हो जिसका प्रतिफल समितियों के सफल संचालन एवं होने वाले लाभों के रूप में प्राप्त हो।

समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना

(पूर्व में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन)

(राशि लाख रु. में)

1. परियोजना लागत एवं व्यय

क्रम	जिला का नाम	ऋण	हिस्सा पूंजी	अनुदान	कुल योग	कुल व्यय 31.12.2018 तक
1	2	3	4	5	6	7
1	गोपालगंज	295.620	631.620	292.000	1,219.240	1,153.910
2	मधुबनी	287.650	704.470	212.800	1,204.920	1,179.070
3	गया	313.340	607.680	215.390	1,136.410	1,059.180
4	सीतामढ़ी	299.150	517.700	218.630	1,035.480	1,019.670
5	आरा	304.680	645.950	162.600	1,113.230	1,080.760
6	छपरा	280.600	673.500	205.620	1,159.720	1,068.980
7	सीवान	296.570	683.080	164.570	1,144.220	1,090.670
8	कैमूर	750.720	40.770	337.110	1,128.600	1,084.550
9	खगड़िया	1,055.250	68.490	468.110	1,591.850	1,183.550
10	शिवहर	698.800	131.280	355.270	1,185.350	984.000
11	वैशाली	2,664.690	334.125	1,257.935	4,256.750	3,503,700
12	नालंदा	2,070.512	293.950	956.758	3,321.220	2,796.770
	कुल योग :	**9,317.582**	**5,332.615**	**4,846.793**	**19,496.990**	**17,204.810**

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण		व्यापार मंडल गोदाम निर्माण	
		कुल लक्ष्य	उपलब्धि (31.12.2018 तक)	कुल लक्ष्य	उपलब्धि (31.12.2018 तक)
1	2	3	4	5	6
1	गोपालगंज	130	130	9	9
2	मधुबनी	110	110	12	12
3	गया	118	114	12	9
4	सीतामढ़ी	100	91	12	10
5	आरा	105	104	16	14
6	छपरा	104	99	14	10
7	सीवान	100	98	15	10
8	कैमूर	74	74	0	0
9	खगड़िया	81	71	3	0
10	शिवहर	46	46	0	0
11	वैशाली	172	168	7	7
12	नालंदा	123	123	6	6
	कुल योग :	**1263**	**1228**	**106**	**87**

(राशि लाख रु॰ में)

3. व्यवसाय विकास

क्रम	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2017–18 (मार्च 18 तक)	वर्ष 2018–19 (दिसम्बर 18 तक)
1	**2**	**3**	**4**
1	कृषि (खाद एवं बीज)	2,196.56	210.87
2	अधिप्राप्ति	1,391.02	270.38
4	उपभोक्ता / पी॰डी॰एस॰	663.53	993.55
5	जमा वृद्धि	139.40	1,246,32
6	उपभोक्ता ऋण	93.50	-
	कुल योग :	**4,484.01**	**2,721.12**

4. प्रशिक्षण

क्रम	प्रशिक्षण	परियोजना प्रारंभ से समापन तक
1	**2**	**3**
1	प्रबंधक	1531
2	अध्यक्ष	1865
3	कार्यकारिणी सदस्य	17757
4	सामान्य सदस्य	130319
5	अन्य	1201
	कुल योग :	**152673**

समेकित सहकारी विकास परियोजना, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना
(वर्त्तमान में कार्यान्वित जिलों का प्रतिवेदन)

(राशि लाख रु॰ में)

1. परियोजना लागत, प्राप्त एवं व्यय

क्रम	जिला का नाम	कुल लागत राशि				कुल प्राप्त राशि	कुल व्यय 31.03.2019 तक	कुल व्यय 2019–20 (नवम्बर 19 तक)	कुल व्यय
		ऋण / चक्रीय पूंजी	हिस्सा पूंजी / एल॰डी॰ / यू॰डी॰ के अतिरिक्त	अनुदान	कुल योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जहानाबाद	605.07500	415.84500	431.31000	1,452.23000	1,325.52000	1,245.51600	0.11000	1,245.62600
2	अररिया	1,572.55000	826.52500	1,108.27500	3,507.35000	3,327.71000	2,900.71200	34.01000	2,934.72200
3	मोतीहारी	4,157.35000	2,316.92000	2,377.46000	8,851.73000	8,435.33000	4,721.05000	134.30000	4,855.35000
4	औरंगाबाद	5,422.02000	2,857.26000	3,029.26000	11,308.54000	6,355.91000	3,981.31000	23.27000	4,004.58000
5	बेगूसराय	2,903.81500	1,486.51800	1,846.23200	6,236.56500	3,932.37400	483.64400	132.22200	615.86600
6	बेतिया	3,925.66750	1,999.28375	2,397.17375	8,322.12500	4,115.18000	753.62000	25.77100	779.39100
7	दरभंगा	4,050.70000	2,025.35000	2,483.13000	8,559.18000	4,774.18000	2,178.79700	101.12200	2,279.91900
8	पूर्णियाँ	2,633.62000	1,363.68500	1,689.54500	5,686.85000	3,870.73300	1,073.37600	22.13500	1,095.51100
9	रा॰अनु॰को॰	-	-	331.00000	331.00000	153.40000	141.30000	12.10000	153.40000
कुल योग :		2 5,270.79750	13,291.38675	15,693.38575	54,255.57000	36,290.33700	17,479.32500	485.04000	17,964.36500

2. गोदाम निर्माण

क्रम	जिला का नाम	पैक्स गोदाम निर्माण			व्यापार मंडल गोदाम निर्माण		
		गोदाम निर्माण का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ / पूर्ण	गोदाम निर्माण / मरम्मति का लक्ष्य	कार्यादेश निर्गत	कार्य प्रारंभ / पूर्ण
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जहानाबाद	**39**	**39**	**39 / 39**	**5**	**5**	**5 / 4**
2	अररिया	**125**	**125**	**125 / 122**	**3**	**2**	**2 / 2**
3	मोतिहारी	**230**	**173**	**173/ 165**	**21**	**8**	**8 / 6**
4	औरंगाबाद	**115**	**75**	**75 / 21**	**9**	**5**	**5 / 3**
5	बेगूसराय	**137**	**25**	**25 / 7**	**12**	**0**	**0 / 0**
6	बेतिया	**100**	**48**	**48 / 27**	**12**	**0**	**0 / 0**
7	दरभंगा	**175**	**72**	**72 / 58**	**10**	**2**	**2 / 0**
8	पूर्णियाँ	**150**	**55**	**55 / 32**	**11**	**3**	**3 / 3**
कुल योग :		**1071**	**612**	**612 / 471**	**83**	**25**	**25 / 18**

(राशि लाख रु० में)

3. व्यवसाय विकास

क्रम	व्यवसाय का प्रकार	वर्ष 2018–19 (मार्च 19 तक)	वर्ष 2019–20 (नवम्बर 2019 तक)
1	**2**	**3**	**4**
1	कृषि (खाद एवं बीज)	1,249.15	1,109.31
2	अधिप्राप्ति	11,477.27	30.62
3	उपभोक्ता / पी०डी०एस०	1,256.82	561.08
4	जमा वृद्धि	182.92	79.44
5	उपभोक्ता ऋण	-	1.20
6	अन्य	-	295.03
	कुल योग :	**14,166.16**	**2,076.68**

4. प्रशिक्षण

क्रम	प्रशिक्षण	वर्ष 2018–19 (मार्च 19 तक)	वर्ष 2019–20 (नवम्बर 2019 तक)
1	**2**	**3**	**4**
1	प्रबंधक	346	0
2	अध्यक्ष	481	5
3	कार्यकारिणी सदस्य	72	0
4	सामान्य सदस्य	884	0
5	सेल्समैन / अन्य	110	0
	कुल योग :	1893	5

समेकित सहकारी विकास परियोजनान्तर्गत अन्य उपलब्धियाँ

- 12 समितियों में चावल मिल की स्थापना
- 56 समितियों में गैसीफायर सहित चावल मिल की स्थापना
- 273 पैक्सों में पूर्व निर्मित गोदामों की मरम्मति।
- 73 समितियों में प्याज भंडारण हेतु गोदाम का निर्माण।
- 8 दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता।
- 115 समितियों में कम्पोजिट ईकाई की स्थापना
- 5 समितियों में दाल मिल की स्थापना
- 35 समितियों में एग्री क्लिनीक की स्थापना
- 591 वर्मी कम्पोस्ट ईकाई की स्थापना
- 15 कार्यालय –सह– बिक्री केन्द्र की स्थापना
- 1 कोल्ड स्टोरेज की स्थापना
- 9 सब्जी विपणन केन्द्र की स्थापना
- 1 मधु प्रसंस्करण ईकाई की स्थापना
- 20 ई–सेन्टर की स्थापना
- 60 मुर्गी पालन केन्द्र की स्थापना
- खगड़िया जिला में 1 सूर्यमुखी प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना
- खगड़िया जिला में 1 सोयाबीन प्रोसेंसिंग ईकाई की स्थापना
- खगड़िया जिला में 2 मुर्गी दाना आहार ईकाई की स्थापना
- नालंदा जिला में 5 समितियों में ग्रामीण विधुतीकरण हेतु गैसीफायर की स्थापना।
- मधुबनी जिला में 1 समिति में गैसीफायर सहित मखाना प्रोसेसिंग ईकाई की स्थापना
- सीवान जिला में 1 बुनकर सहयोग समिति में गैसीफायर की स्थापना
- भोजपुर (आरा) जिला में 1 व्यापार मंडल में एल०पी०जी० गोदाम की स्थापना
- 26 महिला सहयोग समितियों को आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 46 बुनकर सहयोग समितियों को शेड, लूम, डाई प्लांट इत्यादि के लिए आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 200 समितियों में सिंचाई हेतु पंप सेट (बोर बेल) हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 252 मत्स्य पालकों को हेचरी, जाल, बोट, आईस बॉक्स के साथ साइकिल हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 310 मधुमक्खी पालकों को आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 3 समितियों को फ्लोरिकल्चर हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 3 समितियों को फल–सब्जी के विपणन हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना
- 50 समितियों को बकरी पालन हेतु आर्थिक सहायता कर कार्यरत करना

आच्छादित किये जाने वाले जिलों के संबंध में प्रतिवेदन

01. **परियोजना प्रारंभ करने हेतु एन०सी०डी०सी० से स्वीकृति की प्रक्रिया अंतर्गत जिला** – सहरसा, सुपौल, कटिहार, नवादा, मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर, लखीसराय, अरवल, जमुई, बांका एवं समस्तीपुर।
02. **आच्छादन की प्रक्रिया अंतर्गत जिले** – मुंगेर, किशनगंज, मधेपुरा एवं शेखपुरा।
03. **द्वितीय चरण में आच्छादन की प्रक्रिया अंतर्गत जिले** – बक्सर, सासाराम, गोपालगंज, मधुबनी, गया एवं सीतामढ़ी।

IX. सहकार भवन

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों में बेहतर प्रशासनिक समन्वय स्थापित करने, उनके कार्यकलापों में पारदर्शिता लाने एवं अभिलेखों के उचित रख–रखाव के उद्देश्य से एक ही परिसर में स्थान आवंटित करने के लिए संकल्प संख्या–3485 दिनांक–07.11.2017 द्वारा राज्य के प्रत्येक जिला में सहकार भवन बनाने का निर्णय लिया गया है। प्रमंडलीय जिला मुख्यालय में G+2 एवं अन्य जिला मुख्यालय में G+1 सहकार भवन का निर्माण किया जाना है। प्रमंडल स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय, सहायक निबंधक का कार्यालय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय हेतु स्थान आवंटित है। प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक हेतु स्थान आवंटित है तथा द्वितीय तल पर उत्कृष्टता केन्द्र के लिए स्थान निर्धारित है जिला स्तरीय सहकार भवन के भूतल पर जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक निबंधक एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय तथा प्रथम तल पर केन्द्रीय सहकारी बैंक के लिए स्थान निर्धारित है।

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों को समेकित रूप से स्थान आवंटित कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा सभी जिला मुख्यालयों में सहकार भवन के निर्माण का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में सहकार भवन निर्माण हेतु राज्य योजना अन्तर्गत कुल लागत 56.33 करोड़ (छप्पन करोड़ तैतीस लाख रूपये मात्र) से पाँच प्रमंडलीय मुख्यालय यथा पटना, कोशी (सहरसा), भागलपुर, गया (मगध), पूर्णियाँ एवं 17 (सतरह) जिला मुख्यालय यथा मधुबनी, औरंगाबाद, बाँका, किशनगंज, कटिहार, कैमूर (भभुआ), पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), रोहतास (सासाराम), समस्तीपुर, जमुई, गोपालगंज, आरा, नवादा, वैशाली (हाजीपुर), जहानाबाद, अररिया तथा सीतामढ़ी में कुल–22 सहकार भवन के निर्माण का कार्य भवन निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है

X. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना

मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के पैक्सों में कृषि उपकरण बैंक स्थापित करना जिसके माध्यम से लघु एवं सीमांत कृषकों की आधुनिक कृषि उपकरणों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके तथा राज्य के कृषि में मात्रात्मक एवं गुणात्मक हस्तक्षेप संभव हो। इस योजना के लिए कुल मो॰ 1692.60 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें प्रति पैक्स 20.00 लाख रू0 कृषि यंत्र बैंक की स्थापना हेतु दी जानी है। राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत प्रत्येक पैक्स को कृषि यंत्र क्रय करने हेतु 50% ऋण (ब्याज सहित) एवं 50% अनुदान के रूप में राशि उपलब्ध करायी जायेगी। पैक्सों को ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जाने वाली राशि 05 (पाँच) वर्षों में (दस) किस्तों में सूद सहित वसूल की जायेगी। सम्प्रति इस वित्तीय वर्ष में 2917 पैक्सों को कृषि संयंत्र योजना तहत प्रति पैक्स 15 लाख रूपये की दर से प्रथम किस्त की राशि उपलब्ध कराते हुए Gem Portal के माध्यम से कृ संयंत्र के क्रय की कार्रवाई की जा रही है।

XI. वार्षिक योजना

वार्षिक योजना वर्ष 2019–20 के लिए राज्य स्कीम अन्तर्गत 96600.00 लाख रू॰ (पुनरीक्षित) का उपबंध उपलब्ध है जिसके विरूद्ध 32819.24 लाख रू॰ का व्यय किया गया। **केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम अन्तर्गत 88899.10 लाख रूपया का उपबंध उपलब्ध है।**

वर्ष 2019–20 के लिए मदवार उपबंधित राशि एवं व्यय की गयी राशि निम्नवत् है :– (31.01.2020 तक)

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰ सं॰	परियोजना का नाम		उपबंधित राशि			व्यय की गयी राशि
			राज्य योजना पुनरीक्षित	केन्द्र प्रायोजित योजना	कुल राशि	
1	2		3	4	5	6
1	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (क्षतिपूर्ति)		3640.62		3640.62	
2	मौसम आधारित फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		2439.57		2439.57	
3	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (प्रीमियम)		872.15		872.15	
4	प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (प्रीमियम)		14228.04		14228.04	14208.34
5	बिहार राज्य फसल सहायता योजना		45000.00		45000.00	18300.00
6	एन॰सी॰डी॰सी॰ सम्पोषित समेकित सहकारी विकास परियोजना		247.62		247.62	
7	सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों की मरम्मति		100.00		100.00	
8	विभागीय पदाधिकारियों / कर्मचारियों का प्रशिक्षण		100.00		100.00	
9	सहकारिता विभाग के कार्यालयों का जीर्णोद्धार		100.00		100.00	
10	सूचना एवं प्रचार के लिए सहकारिता विभाग द्वारा व्यय		52.00		52.00	3.73
11	गोदाम निर्माण हेतु सहकारी समितियों को अनुदान		8500.00		8500.00	58.00
12	बिहार राज्य भण्डार निगम को गोदाम निर्माण हेतु अनुदान		1.00		1.00	
13	बिहार राज्य सहकारिता बैंक पटना को कृषि साख स्थिरीकरण निधि हेतु ऋण (अधिप्राप्ति)		1.00		1.00	
14	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन(अनुदान)		7350.00		7350.00	
15	सब्जी आधारित सहयोग समितियों को प्रोत्साहन (निवेश)		2400.00		2400.00	
16	केन्द्रीय सहकारी बैंकों को अनुदान		150.00		150.00	149.17
17	केन्द्रीय सहकारी बैंक के हिस्सा–पूँजी में अंशदान		100.00		100.00	100.00
18	सहकारिता विभाग के भवनों का निर्माण (माँग सं॰–03)		1000.00		1000.00	
19	पैक्सों / व्यापारमंडलों में ड्रायर निर्माण हेतु अनुदान		1800.00		1800.00	
20	प्रबंधकीय अनुदान		5000.00		5000.00	
21	पैक्सों का कम्प्युटरीकरण		1500.00		1500.00	
22	मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना		518.00		518.00	
23	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (केन्द्र प्रायोजित योजना)	केन्द्रांश	0.00		0.00	
		राज्यांश	1500.00		1500.00	
	(क) राज्य स्कीम का योग		**96600.00**		**96600.00**	**32819.24**
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम						
1	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना (अनुदान)		**42315.00**		**42315.00**	
2	मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना (चक्रीय पूँजी)		**42315.00**		**42315.00**	
3	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (सहायक अनु॰)		**2258.36**		**2258.36**	
4	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (चक्रीय पूँजी)		**2010.74**		**2010.74**	
	(ख) केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम का योग		**88899.10**		**88899.10**	**0.00**

4. सहकारी कृषि साख संरचना एवं उपलब्धियाँ

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य रहा है। यहाँ की लगभग 80% आबादी कृषि पर ही आधारित है। खास कर बिहार विभाजन के पश्चात् इस राज्य की अर्थ व्यवस्था कृषि पर ही निर्भर है। कृषि पर निर्भर रहने वाले विशेष कर सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के मौसम में अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराने, कृषि इनपुटस की व्यवस्था करने तथा कृषि उपज की विपणन की व्यवस्था सहकारिता के माध्यम से की जा रही है तथा सहकारिता विभाग इसमे सतत् प्रत्यनशील है।

I. अल्पकालीन सहकारी कृषि साख (त्रिस्तरीय ढ़ाँचा)

सहकारिता के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराने के निमित्त सहकारी समितियों की संरचना त्रिस्तरीय है। राज्य स्तर पर बिहार राज्य सहकारी बैंक लि०, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि० एवं प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० नाबार्ड से पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से पैक्स के कृषक सदस्यों को पर्याप्त मात्रा में तथा ससमय अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराती है। अल्पकालीन कृषि साख को सरल बनाने एवं ससमय उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ही अल्पकालीन कृषि साख मुहैया कराया जा रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के प्रारम्भ से 31.12.2018 तक 986225 कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत कर 139807.22 लाख रू० स्वीकृत किया गया है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार सभी किसान क्रेडिट कार्डधारी कृषकों को Debit-cum-Rupay card मुहैया कराया जा रहा है। इस प्रकार राज्य सहकारी बैंक, केन्द्रीय सहकारी बैंक एवं पैक्स सहकारी आन्दोलन के परिकल्पना के अनुरूप कृषि साख व्यवस्था को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अल्पकालीन साख संरचना को सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाने के उद्देश्य से बैद्यनाथन कमिटी के अनुशंसा के आलोक में अल्पकालीन साख संरचना को और अधिक प्रजातांत्रिक, सुदृढ़ एवं जीवन्त बनाया गया है।

विगत 5 वर्षों में अल्पकालीन कृषि ऋण वितरण की स्थिति निम्नवत् है :-

(रू० लाख में)

वर्ष	लक्ष्य	सदस्य की संख्या	उपलब्धि	लक्ष्य के अनुरूप उपलब्धि का प्रतिशत
2013–14	80000	156394	30761.66	38.45%
2014–15	100000	167513	38088.51	38.09%
2015–16	100000	191889	45562.64	45.56%
2016–17	100000	163162	39129.56	39.13%
2017–18	103636	143836	31785.66	30.67%
2018–19	60063	90654	23323.85	38.83%
2019–20 as on 31.12.2019	50000	41151	10097.85	20.20%

"ग्राफ"

विगत 5 वर्षों का अल्पकालीन सहकारी ऋण मांग एवं वसूली की प्रगति निम्नवत् है :-

(रू० लाख में)

वर्ष	मांग	वसूली	अवशेष	प्रतिशत
2013-14	68995.41	22421.58	46573.83	32.50%
2014-15	70087.73	24328.53	45759.20	34.71%
2015-16	72531.53	33285.83	39245.70	45.89%
2016-17	75495.27	27122.41	48372.86	35.93%
2017-18	77873.54	29732.76	48140.78	38.18%
2018-19	75811.50	21106.78	54704.72	27.84%
2019-20 as on 31-12-2019	75585.52	15392.59	60192.93	20.36%

"ग्राफ"

II. राज्य सहकारी बैंक लि॰

अल्पकालीन सहकारी कृषि साख की त्रिस्तरीय संरचनान्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰ शीर्ष सहकारी संस्था है, जो राज्य स्तर पर सहकारी कृषि साख संरचना का नेतृत्व प्रदान कर रहा है। यह बैंक नाबार्ड से पुर्नवित्त सुविधा प्राप्त कर तथा अपने संसाधनों से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से पैक्सों के कृषक सदस्यों को अल्पकालीन कृषि साख (ऋण) उपलब्ध कराने में अग्रणी भूमिका का निर्वहन कर रहा है।

राज्य अन्तर्गत बिहार राज्य सहकारी बैंक की 11 शाखायें कार्यरत हैं जो सभी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत हैं। इन शाखाओं द्वारा बैंकिंग व्यवसाय करने के साथ–साथ गैर कृषि यथा व्यैक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण, शिक्षा ऋण एवं कार ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है। विगत कुछ वर्षों में इस बैंक की कार्य संस्कृति एवं कार्य प्रणाली में गुणात्मक परिवर्त्तन आया है जिसके फलस्वरूप यह बैंक कई वर्षों से लाभ में है।

इस बैंक का मुख्य उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमान्त कृषकों को खरीफ एवं रब्बी फसल के लिए उनके साख जरूरतों को पूरा करने हेतु जिला स्तरीय केन्द्रीय सहकारी बैंक और पंचायत स्तरीय प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्सों) के माध्यम से अल्पकालीन कृषि ऋण मुहैया कराने के साथ–साथ वेतनभोगी एवं कमजोर तबके लोगों को भी वांछित ऋण उपलब्ध कराना है। राज्य सहकारी बैंक के सभी शाखाओं मे कोर बैंकिंग लागू है। वर्त्तमान में शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक के सभी नियामक मापदण्डों का अनुपालन कर रही है।

विगत चार वर्षों में राज्य सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(राशि लाख रू॰ में)

क्र॰सं॰	विवरण	31.03.2016	31.03.2017	31.03.2018	31.03.2019	31.12.2019
1	2	4	5	6	7	8
1	हिस्सा पूंजी	2673.86	3000.37	3000.37	2954.60	2954.60
2	स्टेच्यूटरी रिजर्व	11852.47	13291.10	14738.97	16720.44	19086.06
3	अन्य रिजर्व	23841.91	26509.98	28739.98	30895.30	33081.24
4	ओन्ड फण्ड	59356.70	56875.78	60987.64	67265.57	69638.84
5	जमा	223650.50	137720.91	116183.75	134849.08	122378.74
6	उधार	82499.34	145293.83	80981.08	108819.74	93611.80
7	कार्यशील पूंजी	408826.73	377876.95	300655.50	338680.04	195385.61
8	निवेश	147776.68	144199.03	73731.03	86531.72	183787.34
9	बकाया ऋण	205512.07	195086.52	200510.98	207178.83	71411.47
10	अन डिस्ट्रीव्यूटेड प्रोफिट	3596.58	3619.66	3962.95	4731.23	2552.92
11	ग्रौस एन॰पी॰ए॰	21248.99	8812.56	7718.69	9972.61	9972.61

III. केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰

केन्द्रीय सहकारी बैंक त्रिस्तरीय अल्पकालीन साख संरचना में राज्य सहकारी बैंक एवं पैक्स के बीच कड़ी का काम करता है। यह मध्यवर्त्ती वित्त पोषक बैंक है। यह बैंक प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) के केन्द्रीय समिति के रूप में अल्पकालीन कृषि साख संरचना में अपनी भूमिका का निर्वहन शत् प्रतिशत कर रहा है। केन्द्रीय सहकारी बैंक के क्षेत्राधीन में सभी पैक्स अनिवार्य रूप से उसके सदस्य होते हैं। राज्य में कुल 22 (बाईस) केन्द्रीय सहकारी बैंक कार्यरत हैं। इन 22 केन्द्रीय सहकारी बैंकों में से 18 केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने स्रोत से भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम थे परन्तु 4 केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ यथा पूर्णियाँ, कटिहार, मुजफ्फरपुर एवं मुंगेर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। उन चारों केन्द्रीय सहकारी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्य योजना के 6406.00 लाख रू॰ वित्तीय सहायता प्रदान कर भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त कराने हेतु सक्षम बनाया गया फलस्वरूप आज राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक से बैंकिंग अनुज्ञप्ति प्राप्त हो गया है। राज्य में तीन केन्द्रीय सहकारी बैंक यथा सारण, दरभंगा एवं मधेपुरा परिसमापनाधीन है। इन जिलों में कृषकों को अल्पकालीन कृषि साख उपलब्ध कराने के निमित्त राज्य सहकारी बैंक की शाखा/विस्तारित शाखा कार्य कर रहा है। जिन जिलों में केन्द्रीय सहकारी बैंक नहीं है उन जिलों मे केन्द्रीय सहकारी बैंक गठित करने की कार्रवाई की जा रही है। सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा उनके शाखा कम्प्यूटरीकृत है। साथ ही सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के शाखाओं में कोर बैंकिंग लागू है।

केन्द्रीय सहकारी बैंक की वित्तीय स्थिति निम्नवत् है :–

(रू॰ लाख में)

क्र॰सं॰	केन्द्रीय सहकारी बैंक का नाम	हिस्सा पूंजी	जमा राशि	उधार	सुरक्षित निधि	ऋण एवं अग्रिम	लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	नालंदा	783.91	15468.51	4695.33	1152.35	12052.27	7.37
2	पाटलीपुत्रा	752.00	33139.27	6710.00	4949.00	14725.00	20.00
3	मगध (गया)	677.11	5401.62	9224.00	1724.19	10012.67	31.15
4	नवादा	1666.95	8431.53	6052.30	531.41	9014.32	90.69
5	आरा	1025.97	36505.00	5532.81	1533.70	12130.99	80.05
6	रोहतास	526.56	13364.74	17140.96	1700.79	23110.54	2999.93
7	भागलपुर	447.83	15459.70	2448.15	1735.75	6139.54	149.16
8	मुंगेर	3533.36	12650.96	1480.95	2168.31	8732.21	44.86
9	बेगूसराय	819.88	17692.45	4250.00	1344.73	6530.06	259.36
10	पूर्णियाँ	2471.31	12734.45	8199.46	2310.59	14976.77	6.84
11	मुजफ्फरपुर	519.05	5923.52	2400.80	360.44	4103.2	2.56
12	सीतामढ़ी	344.24	11937.45	246.74	518.88	6831.47	136.90
13	मधुबनी	2704.83	9740.99	8819.75	2096.71	13077.78	15.55
14	बेतिया	491.93	13761.41	1628.49	1157.27	10050.19	21.88
15	मोतिहारी	1602.54	11639.82	3813.49	632.49	10914.78	0.77
16	सिवान	933.20	23079.98	3980.43	567.82	5688.91	80.45
17	गोपालगंज	696.80	32274.36	3450.08	4156.78	7663.51	20.32
18	औरंगाबाद	1198.90	13615.01	3089.10	2818.86	13198.03	229.41
19	खगड़िया	845.08	2913.80	11343.40	189.07	8860.76	65.83
20	कटिहार	2255.66	3627.25	3250.32	994.02	3768.92	19.09
21	वैशाली	897.76	5357.94	1219.01	50.30	1984.09	17.27
22	समस्तीपुर	1199.17	8274.37	4140.57	1501.49	8467.16	273.26

IV. प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स)

अल्पकालीन साख संरचनान्तर्गत प्राथमिक स्तर पर राज्य के प्रत्येक पंचायत में प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) गठित है। पैक्सों में आम जनों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु व्यापक स्तर पर सदस्यता अभियान चलाया जाता रहा है जिसके अन्तर्गत पैक्सों में समाज के कमजोर वर्गों यथा अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े/अतिपिछड़े वर्गों एवं महिलाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। पैक्सों के प्रबंधन में इन वर्गों का प्रतिनिधित्व प्रदान करने हेतु आरक्षण की भी व्यवस्था है। पैक्सों को ग्रामीण अर्थ व्यवस्था के विकास केन्द्र के रूप में विकसित करने हेतु संस्थागत सुधार भी किये गये हैं। फलस्वरूप पैक्सों में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। पैक्सों के माध्यम से कृषकों को अल्पकालीन ऋण के साथ-साथ खाद, बीज, कृषि यंत्र, कीटनाशक दवायें आदि भी प्रदान किया जा रहा है। पैक्सों को आर्थिक रूप से मजबुती प्रदान करने के उद्देश्य से जनवितरण प्रणाली के कार्य करने हेतु अनुज्ञप्ति भी प्रदान कराया गया है। पैक्सों के माध्यम से ही धान एवं गेंहू की अधिप्राप्ति की जा रही है जिससे कृषकों को उनके उत्पाद का सरकार द्वारा घोषित उचित समर्थन मूल्य तो प्राप्त हो ही रहा है साथ ही साथ पैक्सों को भी कृषकों के हितकारी प्रजातांत्रिक मूल्यों पर आधारित संस्था के रूप में विकसित होने का अवसर प्रदान हो रहा है। भंडारण क्षमता में अभिवृद्धि हेतु विभिन्न योजनाओं यथा समेकित सहकारी विकास परियोजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत गोदाम का निर्माण कराया जा रहा है। लघु उद्योग के रूप में विकसित करने हेतु राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं कृषि रोड मैप अन्तर्गत चावल मिल गैसीफायर के साथ चावल मिल भी स्थापित किये जा रहे हैं। पैक्सों को सामान्य व्यवसाय विशेषकर ऑफ सीजन में उर्वरक भंडारण हेतु कृषि रोड मैप अन्तर्गत मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जा रहा है। कुछ पैक्स जमावृद्धि व्यवसाय में भी संलग्न है तथा अपने स्त्रोत से कृषकों को अल्पकालीन ऋण मुहैया कराने में सक्षम हो रहे हैं। **सुशासन के कार्यक्रम 2016-20 में पैक्सों को आदर्श पैक्स के रूप में विकसित करने हेतु स्वच्छ प्रतियोगिता के प्रयोजन से ''मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना'' लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक अनुमण्डल के 2 (दो) पैक्सों एवं राज्य स्तर पर 3 (तीन) पैक्सों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किये जाने की योजना है। अनुमंडल स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रूप में 3 लाख, द्वितीय पुरस्कार 2 लाख, तथा राज्य स्तर पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले पैक्सों को क्रमशः 10, 07 एवं 05 पाँच लाख रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जायेगी, ताकि वे अपने कार्यों में वृद्धि कर सकें।**

5. सहकारी समितियों का लेखा अंकेक्षण

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अन्तर्गत निबंधित सहकारी समितियों के लेखा का प्रत्येक वर्ष अंकेक्षण, वैधानिक अनिवार्यता है। निबंधक, सहयोग समितियाँ के नियंत्रणाधीन अंकेक्षण पदाधिकारियों द्वारा सहकारी समितियों के वैधानिक अंकेक्षण, जाँच अंकेक्षण एवं विशेष अंकेक्षण सम्पन्न किये जाते है। सहकारी समितियों के अंकेक्षण का मूल उद्देश्य समितियों के वार्षिक लेखाओं का अधिनियम, नियमावली एवं समिति के उपविधि प्रावधानों के अन्तर्गत जाँच कर समिति की वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन/सत्यापन/त्रुटियों/अनियमितताओं/दायित्वों का निर्धारण एवं सुधारात्मक उपायों का परामर्श देना है। सहकारी समितियों का अंकेक्षण हेतु विभागीय अंकेक्षकों के अलावे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का पैनल भी निबंधक, सहयोग समितियाँ द्वारा स्वीकृत है, जिन्हें परिपत्रानुसार समितियों के अंकेक्षण का दायित्व सौपा गया है।

विगत 3 वर्षों में सहकारी समितियों में अंकेक्षण की प्रगति निम्नवत् है :-

क्र० सं०	समितियों की कुल संख्या		अंकेक्षण वर्ष	अंकेक्षण की स्थिति	
	पैक्स	व्यापार मंडल		पैक्स	व्यापार मंडल
1	8463	521	2016–17	7765	380
2			2017–18	6549	292
3			2018–19	3125	100
			(दिसम्बर, 2019 तक)		

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1996 (यथा संशोधित, 2013) के अनुसार सहकारी समितियाँ अपनी लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम–से–कम एक बार, इस हेतु राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकार द्वारा अनुमोदित नामावली के अंकेक्षक द्वारा करायेगी। ऐसा अंकेक्षक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिनियम, 1949 के अन्तर्गत या तो चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट होगा या निबंधक के कार्यालय का अंकेक्षक होगा।

प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के समान्य निकाय द्वारा नियुक्त उप–धारा (2) में विर्निर्दिष्ट अंकेक्षक अथवा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स फर्म द्वारा किया जायेगा।

जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहाँ नियत तारीख से (90) नब्बे दिनों के भीतर निबंधक, सहयोग समितियाँ लेखाओं का अंकेक्षण करायेंगे। ऐसे अंकेक्षण संचालन करने का खर्च सहकारी समिति द्वारा वहन किया जायेगा।

6. महत्वपूर्ण सहकारी संस्थान

i. सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर

सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा, समस्तीपुर राज्य सरकार द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण संस्थान है। इस संस्थान की स्थापना वर्ष 1955–56 में हुई है। जिसमें प्रशासनिक भवन के साथ–साथ प्रशिक्षार्थियों के आवास की सुविधा उपलब्ध है। इस संस्थान के सफल संचालन हेतु संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल की अध्यक्षता में एक संचालन कमिटि गठित है। जिसके सचिव प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा हैं, तथा सदस्य के रूप में जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी समस्तीपुर एवं प्रबंध निदेशक समस्तीपुर जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ नामित है।

विगत वर्षों में प्रशिक्षण केन्द्र का कार्यकलाप ठप्प था, वर्ष 2016 में इसे पुर्नजीवित किया गया, जिसके अन्तर्गत तीस प्रशिक्षणार्थियों के लिए एक छात्रावास का निर्माण कराया गया तथा इस के संचालन हेतु एक कॉरपस फंड का गठन किया गया है, जिसमें संबद्ध सहकारी संस्थाओं से अंशदान के मद में प्राप्त राशि से प्राप्त होने वाले ब्याज की राशि से प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रायोजित किया जाता है।

ii. बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰

सहकारिता प्रक्षेत्र में बिहार राज्य सहकारी संघ लि॰ राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था है। इसका गठन वर्ष 1917–18 में हुआ है, इसका निबंधन संख्या 210/1917–18 है। इस संघ का अपना भवन बुद्ध मार्ग, पटना में अवस्थित है। इस संस्था का मुख्य कार्य सहकारी शिक्षा का प्रचार–प्रसार, सहकारी सम्मेलन, सहकारिता सप्ताह का आयोजन एवं सहकारी सेमिनार आयोजित करना रहा है। यह राज्य में निबंधित सभी प्रकार के सहकारी समितियों की एक शीर्ष संस्था है। राज्य के सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं, केन्द्रीय एवं प्राथमिक सहकारी समितियाँ अनिवार्य रूप से इस संस्था के सदस्य हैं। यह संघ सहकारी समितियों के पदाधिकारियों, समिति के कार्यकारिणी सदस्यों एवं आम सदस्यों को शिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सहकारी शिक्षा की जानकारी प्रदान करती है। साथ ही साथ सहकारी प्रक्षेत्रों में चलायी जा रही योजनाओं/परियोजनाओं एवं विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में प्रशिक्षित भी करती है। इस संस्था की आय का मुख्य स्रोत अपने सदस्य समितियों से वसूल की गयी लेवी है। इसके अतिरिक्त फेडरेशन हॉल, गेस्ट रूम आदि के आरक्षण से प्राप्त होने वाली राशि को भी आय का स्रोत बनाया गया है। कर्मचारियों की कमी के कारण लेवी की वसूली भी नहीं हो पाता है।

iii. बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ लि॰

उपभोक्ता प्रक्षेत्र में यह राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्थान है। इस संघ का निबंधन वर्ष 1965 में किया गया है। जिसका निबंधन संख्या– 2 पैट/1965 है। इस संस्था का मुख्य कार्य केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार, प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार एवं उपभोक्ता व्यवसाय में संलग्न व्यापार मंडलों को थोक दर पर उपभोक्ता सामग्रियों की आपूर्ति करता रहा है। संघ का कुल हिस्सा पूंजी 244.53 लाख रू॰ है, जिसमें राज्य सरकार का अंशदान 239.57 लाख रू॰ है। इस संघ से लगभग राज्य के सभी केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार सम्बद्ध हैं। अत्यधिक स्थापना व्यय एवं व्यवसायिक घाटे के कारण इस संघ का आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही जर्जर हो गया है। फलस्वरूप इस संघ का कारोवार लगभग ठप है।

iv. केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में यह केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता समिति के रूप में गठित है। इस समिति का गठन लगभग सभी पुराने अनुमंडलों में है। बिहार राज्य सहकारी थोक उपभोक्ता संघ की वित्तीय स्थिति जर्जर हो जाने का कुप्रभाव केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार पर भी परिलक्षित होता है। अधिकांश केन्द्रीय उपभोक्ता भंडार मृत प्रायः हो गया है।

v. प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार

उपभोक्ता परिक्षेत्र में प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार गठित है। इसका कार्यक्षेत्र शहरों तक ही सीमित है। इसका मुख्य कार्य शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण रहा है। अधिकांश प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार लगभग निष्क्रिय है। कुछ प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भंडार जनवितरण प्रणाली के कार्य में संलग्न हैं।

vi. व्यापार मंडल

व्यापार मंडल सहयोग समितियाँ प्रखंड स्तर की पणन सहकारी समिति है। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य कृषकों को उनके कृषि उत्पाद में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं यथा खाद, बीज, कीटनाशक दवा आदि की व्यवस्था के साथ–साथ कृषि उत्पाद का पणन रहा है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) अनिवार्य रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होते हैं। प्रखंड स्तर पर व्यापार मंडल का पुनर्गठन कर लगभग प्रत्येक प्रखंड में व्यापार मंडल का गठन किया गया है। गठित व्यापार मडलों के प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार से कराकर प्रजातांत्रिक प्रबंधन बहाल कर दिया गया है। वर्त्तमान में राज्य में 521 प्रखंड स्तरीय व्यापार मंडल गठित हैं।

7. बिहार राज्य भंडार निगम

वित्तीय वर्ष 2019–20 में निगम की उपलब्धि एक झलक में :

1. व्यवसाय एवं लाभ में वृद्धि :–

बिहार राज्य भंडार निगम (Bihar State Warehousing Corporation), जो केन्द्रीय भंडारण निगम एवं बिहार सरकार का व्यवसाय आधारित एक संयुक्त लोक उपक्रम है, दी वेयरहाउसिंग एक्ट, 1962 (The Warehousing Act, 1962) एवं तत्संबंधी नियमावली के अधीन संचालित है। इस निगम का खाद्यान्न के वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस निगम अन्तर्गत सम्प्रति कुल भंडारण क्षमता 8.18 लाख मे0 टन है। इसके व्यवसाय एवं लाभ में उत्तरोत्तर वृद्धि रही है, जिसका संक्षिप्त विवरणी निम्नवत् है :–

		2018–19	2019–20	
कुल आय	:	रू० 28,700.84 लाख	रू० 29,851.44 लाख	(दिसम्बर–2019 तक अनुमानित)
लाभ	:	रू० 3,575.39 लाख	रू० 3,176.80 लाख	(दिसम्बर–2019 तक अनुमानित)

2. स्थापना :–

बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन, पटना की स्थापना Agriculture Produce Development and Warehousing Corporation Act, के अन्तर्गत वर्ष 1957, मार्च में की गई थी। Agriculture Produce Development and Warehousing Corporation Act, को निरस्त कर Warehousing Corporation Act-1962 की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन कार्यरत है।

बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित –– ''राज्य भंडारण ऐजेंसी'' :

बिहार राज्य भंडार निगम को बिहार सरकार सहकारिता विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या–3250 दिनांक–12.12.1996 के द्वारा ''राज्य भंडारण एजेंसी'' के रूप में घोषित किया गया, जिसके अन्तर्गत सभी सरकारी विभागों, स्वशासी निकायों, लोक उद्यमों एवं उपक्रमों को यह निदेशित किया गया है कि भविष्य में वे अपने स्तर से निजी गोदामों को भाड़े पर नहीं लेंगे बल्कि वे स्थायी रूप से अपनी आवश्यकता बिहार राज्य भंडार निगम, पटना को अधिसूचित करेंगे। बिहार राज्य भंडार निगम, पटना अपने गोदामों के उपलब्ध होने पर आरक्षण प्रदान करेगा। गोदाम अनुपलब्धता की स्थिति में अन्य विभागों/स्वशासी निकायों/लोक उद्यमों एवं उपक्रमों/सहकारी समितियों अथवा निजी श्रोतों से गोदाम को भाड़े पर लेकर अधियाची संस्थान को उपलब्ध कराएगा।

3. उद्देश्य :–

- सामग्रियों का वैज्ञानिक एवं सुरक्षित भंडारण।
- खाद्यान्न, उर्वरक, दवा एवं अधिसूचित सामग्रियों का भंडारण।

4. कार्य :–

बिहार राज्य भंडार निगम (बिहार स्टेट वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन) का मुख्य कार्य निम्नवत् है :–

- राज्य में कृषि उत्पादों/खाद्यान्नों, उर्वरकों, बीज तथा कृषि संयंत्रों एवं सरकार द्वारा अधिसूचित वस्तुओं के वैज्ञानिक भंडारण हेतु गोदाम का अर्जन एवं गोदामों का निर्माण करना।
- कृषि उत्पाद तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के संचयन के लिए राज्य में गोदामों का परिचालन।
- कृषि उत्पादन तथा अन्य अधिसूचित वस्तुओं के लिए परिवहन एवं हथलन व्यवस्था उपलब्ध कराना।

5. हिस्सा पूँजी/अंश–पूँजी (Share Capital & Paid up Capital) :–

निगम का अधिकृत अंश पूँजी 10.00 करोड़ है। निगम में केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार का क्रमशः 50–50 प्रतिशत हिस्सा पूँजी हैं। संप्रति केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अंश पूँजी 642.00 लाख है, जिसकी विवरणी अग्रांकित है :–

हिस्सा पूँजी (Share Capital)	500.00
केन्द्रीय भंडारण निगम	500.00
बिहार सरकार	1000.00
कुल रू॰	
प्रदत्त अंश पूँजी (Paid up Capital)	321.00
केन्द्रीय भंडारण निगम	321.00
बिहार सरकार	642.00
कुल रू॰	

6. **लाभांश (Dividend) :–**

अंशधारियों केन्द्रीय भंडारण निगम एवं राज्य सरकार को विगत वर्षों में यथानिदेशित रूप से वित्तीय वर्षवार 20% लाभांश देय रहा है। निदेशक पर्षद द्वारा वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 से 30% (Post Tax) लाभांश अंशधारियों को देने का निर्णय लिया गया है।

7. **मुख्य सामग्रियों का भंडारण :–**

उर्वरक, खाद्यान्न, दाल, बीज, जूट, सूर्यमुखी बीज, कलई, उड़द, मसूर, सीमेंट, डी॰डी॰टी॰ अभियंत्रण सामग्री, पुस्तक, कागज, तौलाई मशीन, लोहा, इलेक्ट्रॉनिक मत–पेटी।

8. **मुख्य जमाकर्ता :–**

भारतीय खाद्य निगम, बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम, इफको, जनगणना निदेशालय, आर॰सी॰एफ॰ लि॰, पुस्तक निगम, बी॰एस॰एन॰एल॰, शिक्षा परियोजना, व्यापारी, कृषक, बिहार मेडीकल इन्फ्रा स्ट्रक्चर लि॰, अल्ट्राटेक, ओरिगो लिमिटेड इत्यादि। संप्रति निगम का अधिकांश गोदाम भारतीय खाद्य निगम द्वारा आरक्षित है।

9. **भंडारण क्षमता :–**

- वर्त्तमान भंडारण क्षमता :– 8.18 लाख मे0 टन।
- अद्यतन गोदाम निर्माण विवरणी :–

(क)	निगम द्वारा स्वनिर्मित गोदाम	2,09,493 मे0 टन
(ख)	कृषि रोड मैप योजनांतर्गत निर्मित गोदाम	3,10,000 मे0 टन
(ग)	पी॰ई॰जी॰ योजनांतर्गत निर्मित गोदाम	2,20,000 मे0 टन
(घ)	किराया का गोदाम	78,792 मे0 टन
	कुल क्षमता	8,18,285 मे0 टन

10. **भंडारण शुल्क :–**

बिहार राज्य भंडार निगम के गोदामों के लिए केन्द्रीय भंडारण निगम का संसूचित दर सामान्य रूप से प्रभावी है। भारतीय खाद्य निगम एवं राज्य खाद्य निगम के संदर्भ में यथानिदेशित दर व्यवस्था हैं वर्त्तमान भंडारण शुल्क विवरणी अग्रानुसार है :–

खाद्यान्न	रू॰ 93.60 प्रति मे॰ टन प्रति माह (भारतीय खाद्य निगम)
	रू॰ 64.00 प्रति मे॰ टन प्रति माह (राज्य खाद्य निगम)
उर्वरक	रू॰ 64.00 प्रति मे॰ टन प्रति माह (CWC दर पर)
क्षेत्रफल दर	रू॰ 14.70 प्रति वर्गफीट प्रति माह (CWC दर पर)

भंडारण शुल्क में सहकारी संस्थानों को यथानिदेषित रूप से 10% की छूट देने की व्यवस्था है।

- **अद्यतन मानव बल :–**

निगम में कार्यरत कुल मानव बल – 96

कुल स्वीकृत पद – 522

❖ **स्थापना संचरना :–**

निगम में कार्यरत प्रमंडल – 6 (मुजफ्फरपुर, पटना, मगध, पूर्णिया, भागलपुर, एवं राँची)

कुल भंडारण गृहों की संख्या – 60 (बिहार 50, झारखण्ड 10)

❖ **बिहार राज्य के अन्तर्गत आने वाले केन्द्रों के नाम :–**

मुजफ्फरपुर प्रमंडल	पटना प्रमंडल	मगध प्रमंडल	पूर्णियाँ प्रमंडल	भागलपुर प्रमंडल
मुजफ्फरपुर	आरा	गया	गुलाबबाग	बरौनी
बेतिया	आरा पी॰ई॰जी॰	जहानाबाद	गुलाबबाग पी॰ई॰जी॰	भागलपुर
बेतिया पी॰ई॰जी॰	बिहटा	वारसलीगंज	कसबा	नौगछिया
मोतिहारी	फतुहाँ	सासाराम	जानकीनगर	खगड़िया पी॰ई॰जी॰
मोतिहारी पी॰ई॰जी॰	बिहारशरीफ	मोहनियाँ	फारबिसगंज	बेगुसराय
सीतामढ़ी	बिहारशरीफ पी॰ई॰जी॰	मोहनियाँ पी॰ई॰जी॰	कटिहार	बेगुसराय पी॰ई॰जी॰
समस्तीपुर	मसोढ़ी	नटवार	मधेपुरा (सिंहेश्वरस्थान/रसना)	जमुई पी॰ई॰जी॰
छपरा	बक्सर	औरंगाबाद पी॰ई॰जी॰ (ए॰एन॰रोड)	मुरलीगंज	लखीसराय
नरकटियागंज		औरंगाबाद पी॰ई॰जी॰ (ओबरा)	गढ़बनैली	
गोपालगंज पी॰ई॰जी॰			किशनगंज पी॰ई॰जी॰	
हाजीपुर			सहरसा	
दरभंगा पी॰ई॰जी॰				
झंझारपुर				
सीवान				

❖ **झारखंड राज्य के अंतर्गत आने वाले केन्द्रों के नाम :–**

राँची प्रमंडल			
पाकुड़	चतरा	दुमका	गोड्डा
लोहरदग्गा	बोकारो	गढ़वा	सरायकेला

❖ **भौतिक उपलब्धि :–**

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे॰टन)	आभोग (लाख मे॰टन)	आभोग प्रतिशत
1.	2018–19	8.08	6.28	78%
2.	2019–20 (दिसम्बर–2019)	8.18	6.64	81%

❖ **वित्तीय उपलब्धि :–** **(रूपया लाख में)**

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	भंडारण क्षमता (लाख मे॰टन)	सकल आय (लाख रू0)	लाभ (लाख रू0)
1.	2018–19	8.08	28700.84	3575.39
2.	2019–20 (दिसम्बर–2019) अनुमानित	8.18	29851.44	3176.80

अन्ययान्य महत्वपूर्ण उपलब्धि :–

(1) वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस निगम द्वारा अपने आय स्त्रोत से माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष में मो॰ 50.00 लाख रूपये (पचास लाख रूपये) अनुदान दिया गया है।

(2) निगम के केन्द्रों एवं मुख्यालय के आधुनिकीकरण तथा कम्प्यूटरीकरण हेतु कार्य योजना संचालित की गई है।

❖ निर्माण योजनाएँ :–

सात वर्षीय संचयन गारंटी योजनान्तर्गत गोदामों का निर्माण

निगम द्वारा 20.28 करोड़ की लागत से भारतीय खाद्य निगम के सात वर्षीय गांरटी योजनान्तर्गत 51.00 हजार मे॰ टन क्षमता के आधुनिक प्रौद्योगिकी से निर्मित विशेष रूप से खाद्यान्नों के संचयन हेतु गोदाम निर्माण कार्य मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, रक्सौल, बेतिया, भागलपुर, आरा, सासाराम, गुलाबबाग, फारबिसगंज में संपादित कराया गया है। अभिवृद्धि भंडारण योजनान्तर्गत निगम के द्वारा वैज्ञानिक भंडारण संरचनाओं का निर्माण किया गया है।

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY)

वित्तीय वर्ष 2007–08 में प्रारम्भ राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत रू० 26.30 करोड़ की लागत से फतुहाँ–10,000 मे०टन, छपरा–10,000 मे०टन, समस्तीपुर–10,000 मे०टन, मोतिहारी–5,000 मे०टन एवं मोहनियाँ में 5,000 मे० टन, आरा–5,000 मे० टन एवं सासाराम में 5,000 मे० टन क्षमता के गोदामों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिसका निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।

कृषि रोड मैप योजना (ARM)

वित्तीय वर्ष 2012–13 एवं 2013–14 में 178 करोड़ नाबार्ड से ऋण एवं राज्य सरकार द्वारा 32.80 करोड़ प्राप्त अनुदान की राशि से कृषि रोड मैप योजना के अन्तर्गत 3,10,000 मे०टन क्षमता के गोदाम का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है यथा–सासाराम–45,000 मे०टन, नटवार–50,000 मे०टन, आरा–20,000 मे०टन, बिहटा–25,000 मे०टन, बिहारशरीफ–10,000 मे०टन, जहानाबाद–10,000 मे०टन, बेगुसराय–30,000 मे०टन, नरकटियागंज–10,000 मे॰टन, फारबिसगंज–20,000 मे०टन, झंझारपुर–15,000 मे०टन, नौगछिया–50,000 मे०टन एवं कटिहार–25,000 मे०टन।

पी॰ई॰जी॰ 2008–09 योजना

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य मंत्रालय द्वारा बिहार में निजी उद्यमी सहभागिता योजनान्तर्गत 7.20 लाख मे०टन क्षमता के गोदामों के निर्माण की योजना स्वीकृत है जिसके कार्यान्वयन हेतु बिहार राज्य भंडार निगम को नोडल एजेंसी के रूप में चयनित किया गया है। इस योजनान्तर्गत निजी उद्यमियों द्वारा अपने भूखण्ड पर निगम द्वारा निर्धारित निरूपण, विशिष्टियों एवं मानकों के आधार पर गोदामों का निर्माण कार्य संचालित है। इन गोदामों के उपयोग के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा 10 वर्ष की गांरटी दी गई है। 2,20,000 मे०टन क्षमता का निर्माण कार्य निगम द्वारा पूर्ण कराया जा चुका है।

8. सहकारिता विभाग में आई०टी० का समावेथ

I. बिहार राज्य सहकारिता बैंक :–

सीमित संसाधनों के बावजूद भी वर्तमान बैंकिग प्रतिस्पर्द्धा के युग में सहकारी बैंक अपने ग्राहकों को अन्य बैंकों की भाँति तकनिकी सुविधा उपलब्ध करा रहा है। राज्य के सभी सहकारी बैंक पूर्णतः सी॰बी॰एस॰ प्रणाली में कार्यरत है तथा अपने ग्राहकों को एन॰ई॰एफ॰टी॰, आर॰टी॰जी॰एस॰, आई॰एम॰पी॰एस॰ रूपे कॉर्ड तथा ए॰टी॰एम॰ आदि की सुविधा प्रदान कर रहा है। सहकारी बैंकों के माध्यम से राज्य में 136 ए॰टी॰एम॰ तथा 715 माईको ए॰टी॰एम॰ की स्थापना की जा चुकी है, शेष प्रक्रियाधीन है। ग्राहकों के बीच लगभग 2.16 लाख रूपे/के॰सी॰सी॰ कॉर्ड तथा खाताधारियों को 1.05 लाख ए॰टी॰एम॰ कॉर्ड वितरित किया गया है। मोबाईल ऐप के द्वारा घर बैठे अभिकर्ता के माध्यम से दैनिक जमा योजना के अन्तर्गत खाता में जमा का सुरक्षित संचालन किया जा रहा है। जमा राशि पर तत्काल 75% ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जा रही है। दैनिक जमा योजना के संचालन के लिए 2000 अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई है। पैक्सों को भी पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत करने की योजना है, जिसके लिए नाबार्ड से भी वित्तीय सहायता प्राप्त होनी है। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि० में तकनिकी कोषांग गठित किया जा रहा है, जो जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों की तकनिकी समस्याओं का समाधान करेगा। ग्राहकों को पेमेन्ट वॉलेट एवं नेट बैंकिंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराने के लिए बैंक तत्पर है। राज्य सहकारी बैंक से सभी केन्द्रीय सहकारी बैंकों के साथ संचार व्यवस्था को सरल बनाने के उद्देश्य से वीडीयो कॉन्फ्रेन्सिंग की व्यवस्था भी प्रक्रियाधीन है।

II. धान अधिप्राप्ति :–

प्रत्येक वर्ष सहकारिता विभाग के माध्यम से राज्य के किसानों से धान के लिए घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पैक्सों तथा व्यापारमंडलों द्वारा खरीदारी की जाती है। धान अधिप्राप्ति पैक्स तथा व्यापार मंडल द्वारा किसान से धान खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए तकनीक का समावेश किया गया।

वर्ष 2015–16 से राज्य के किसानों से धान खरीदगी के लिए आधुनिकतम तकनीक का समावेश किया गया। राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से इस कार्य के लिए एक वेब एप्लीकेशन तथा मोबाईल एप्लीकेशन विकसित कराया गया तथा उसी वर्ष से मोबाईल के माध्यम से धान की खरीदगी शुरू की गई, जिस कारण इस व्यवस्था में काफी पारदर्शिता आई। धान खरीदारी के पूर्व किसानों का ऑनलाईन निबंधन कराकर उनके क्षेत्रान्तर्गत कार्यरत पैक्स/व्यापारमंडल को उनसे टैग किया गया तथा निर्धारित तिथि को उनसे धान क्रय करने के लिए उक्त संबंधित पैक्स में निबंधन के अनुसार रोस्टर तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप राज्य के किसानों को सरकार द्व ारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान 48 घंटे के भीतर PFMS के माध्यम से सीधे संबंधित किसान के खाते में किया जा रहा है। उक्त सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय, जिला तथा प्रखंड स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। सारे प्रतिवेदनों को रियल टाईम में उपलब्ध कराया जा रहा है। इस संबंध में किसानों को आ रही समस्याओं के ऑनलाईन निराकरण के लिए हेल्प लाईन नम्बर तथा ई–मेल उपलब्ध कराया गया है, जिस पर किसानों की समस्याओं का निराकरण ऑनलाईन ही किया जा रहा है।

III. पैक्सों में सदस्यता हेतु आवेदन करने की प्रक्रिया :–

पंचायत स्तर पर गठित पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी हैं। कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था के समग्र विकास के लिए आवश्यक है कि सभी इच्छुक किसान पैक्स का सदस्य बने। पैक्स की सदस्यता को सुगम बनाने के लिए सहकारिता विभाग की तरफ से ऑनलाईन ऐप्प विकसित कर क्रांतिकारी पहल की गई है।

राज्य में कुल 8463 पैक्स हैं। चूँकि पैक्स ग्रामीण विकास की धूरी है, अतः आवश्यक है कि पैक्स के सदस्य बनने की प्रक्रिया सहज हो तथा पुरी प्रक्रिया का विभागीय स्तर पर अनुश्रवण किया जा सके। पैक्सों में ऑनलाईन सदस्यता दिलाने हेतु विभाग के पहल पर राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र (एन॰आई॰सी॰) के सहयोग से पैक्सों में सदस्यता हेतु ऑनलाईन पद्धति से पैक्स में सदस्यता आवेदन देने की व्यवस्था लागू करने के लिए एक वेब एप्लीकेशन विकसित कराया गया जिसका लोकापर्ण 05 सितम्बर 2017 से पूरे राज्य में माननीय मंत्री सहकारिता द्वारा किया गया। इस साफ्टवेयर के माध्यम से कोई भी वैध पात्र, निर्धारित समय–सीमा के अन्दर अपने पंचायत क्षेत्रान्तर्गत पैक्स में सदस्यता पा सकता है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से सभी क्रिया–कलापों पर मुख्यालय तथा जिला स्तर से ऑनलाईन अनुश्रवण किया जा रहा है। किसानों को सदस्यता हेतु आवेदन देने में किसी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में कम्प्यूटर तथा प्रिन्टर के साथ कार्यपालक सहायक उपलब्ध कराया गया है।

IV. बिहार राज्य फसल सहायता योजना :–

बिहार राज्य फसल सहायता योजना राज्य के किसानों को फसल में हुई क्षति की भरपाई करने हेतु खरीफ तथा रबी

के फसल के लिए रैयत एवं गैर–रैयत तथा दोनो प्रकार के किसानों के लिए वर्ष 2018 से राज्य में लागू की गई है। इसके लिए राज्य के दोनों प्रकार के कृषको से प्रीमियम मद में कुछ भी राशि देय नहीं होती है। इसके अन्तर्गत सर्वप्रथम किसानों को कृषि विभाग के किसान निबंधन संख्या के द्वारा विभागीय पोर्टल पर निबंधन कराना होता है, तदोपरान्त इससे संबंधित मूलभूत जानकारियों को पोर्टल पर अपलोड करना होता है। उसके बाद इस प्रकार प्राप्त आवेदनों को संबंधित जिला एवं प्रखंड स्तर पर विभागीय पदाधिकारियों द्वारा प्राप्त आवेदनों का ऑनलाईन मोबाईल एप्प द्वारा सत्यापन कराया जाता है। उसके बाद अर्थ एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा प्राप्त उक्त वर्ष फसल कटनी आकंड़ों के आधार पर संबंधित क्षेत्र में हुई फसल की क्षति का आकलन साफ्टवेयर के माध्यम से राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा किया जाता है तथा उक्त क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर हुई फसल क्षति पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार मानदेय को ऑनलाईन सीधे निबंधित किसान के बैंक खातें में DBT के माध्यम से भुगतान कर दिया जाता है।

NIC के तकनीकी सहयोग से विकसित बिहार राज्य फसल सहायता योजना पोर्टल को कम्प्यूटर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा E–Governance के लिए award of excellence प्रदान किया गया।

V. मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना :–

सुशासन के कार्यक्रम के तहत पैक्सों को आर्दश पैक्सों के रुप में ''मुख्यमंत्री आदर्श पैक्स प्रोत्साहन योजना'' की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक अनुमंडल के दो पैक्सों तथा राज्य स्तर पर तीन पैक्सों को राज्य सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। जिसके तहत अनुमंडल स्तर पर प्रथम पुरस्कार के रुप में मो॰ 3,00,000 (तीन लाख) रुपए तथा द्वितीय पुरस्कार के रुप में मो॰ 2,00,000 (दो लाख) रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है, जिसका उपयोग पैक्स द्वारा स्वंय के विकास में किया जाएगा। इस योजना में भाग लेने हेतु पैक्सों को ऑनलाईन विभागीय पोर्टल पर उन्हें विभाग द्वारा आवंटित लॉगईन तथा पासवर्ड से आवेदन करना होगा, उसके बाद पैक्सों के कार्यकलाप से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किये गए प्रश्नावली का ऑनलाईन उत्तर देना होगा। ऑनलाईन प्राप्त उत्तरों को साफ्टवेयर के माध्यम से अंक दिया जायगा। इस प्रकार ऑनलाईन कुल प्राप्त अंको पर संबंधित प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी तथा संबंधित जिला सहकारिता पदधिकारी का मंतव्य भी सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त कर मुख्यालय को ऑनलाईन अग्रसारित किया जाएगा जहाँ कुल प्राप्त डाटा का मूल्यांकन निर्धारित मापदंडों के अनुसार कर पैक्सों को पुरस्कार हेतु चयन किया जाएगा।

VI. मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना :–

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, (NCDC) नई दिल्ली द्व राज्य के सभी 8463 पैक्सों में केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, (NCDC) नई दिल्ली द्वारा वित्तीय सहायता के आधार पर सम्पोषित ''मुख्यमंत्री हरित कृषि संयत्र योजना'' लागू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पैक्स को कृषि सयंत्र क्रय करने हेतु अधिकतम 20,00,000 (बीस लाख) रुपये उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। इस हेतु सभी इच्छुक पैक्सों को ऑनलाईन भारत सरकार द्वारा निर्मित GEM पोर्टल पर निबंधन करा कर चयनीत कृषि सयंत्र को GEM पोर्टल पर BID द्वारा क्रय किया जाएगा। इस योजना के तहत क्रय तथा भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने हेतु पुर्ण रुप से ऑनलाईन है।

VII. पैक्सों का कम्प्यूटरीकरण योजना :–

पैक्सों में समान लेखा प्रणाली (CAS) लागू है। CAS को सुगम बनाने तथा समितियों के कामकाज में पारदर्शीता तथा एकरूपता लाने के उद्देश्य से पैक्सों के क्म्प्यूटरीकण की योजना है। इस योजना के तहत चयनीत पैक्सों को कम्प्यूटर सेट उपलब्ध कराया जाएगा। पैक्सों के कार्यकलापों को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र द्वारा निर्मित सॉफ्टवेयर से संचालन करना होगा।

VIII. सहकारी समितियों का निबंधन :–

बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 एवं बिहार स्वावलम्बी सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1996 के तहत सहकारी समितियों के निबंधन हेतु on-line आवेदन की प्राप्ति एवं on-line निष्पादन की सुविधा विभाग द्वारा प्रारम्भ किया गया है। इसके लिए सहकारी समिति गठित करने हेतु इच्छुक व्यक्ति सहकारिता विभाग, बिहार के अधिकारिक बेवसाइट Cooperative.bih.nic.in पर जाकर अपना User ID एवं पासवर्ड बनाने के पश्चात् सहकारी समिति के निबंधन हेतु आवेदन एवं अन्य कागजात व्दसपदम on-line समर्पित कर सकते है। निबंधन की प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात् समिति का निबंधन प्रमाण पत्र अथवा निबंधन अस्वीकृति की दशा में अस्वीकृति पत्र आवेदक on-line विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है।

IX. अंकेक्षण :–

समिति के अंकेक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए अंकेक्षण की प्रक्रिया को Online कर दिया गया है। Online Audit app के माध्यम से समितियों से संबंधित डाटा एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन अपलोड कराया जा रहा है। जिससे समितियों की आर्थिक स्थिति का प्रभावी अनुश्रवण तथा अंकेक्षण में पारदर्शिता लाया जा सकेगा।

परिशिष्ट – I

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियाँ

- सहकारिता आन्दोलन के क्रम में सहकारी समितियों की संगठनात्मक संरचना त्रिस्तरीय यथा शीर्ष (Apex), केन्द्रीय एवं प्राथमिक है।
- समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अलग–अलग उद्देश्यों के अनुरूप साख (Credit) एवं गैर–साख (Non-Credit) सहकारी समितियाँ शहरों एवं सुदुर ग्रामीण क्षेत्रो मे गठित है।
- कृषि साख की सुविधा हेतु राज्य स्तरीय बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ एवं पंचायत स्तर पर प्राथमिक कृषि साख समिति गठित है।
- कृषि उत्पाद का पणन एवं भंडारण के निमित पणन सहकारी समितियाँ तथा उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु उपभोक्ता भंडार गठित है।
- कृषि के क्षेत्र में व्यवसायिक दृष्टिकोण के उद्देश्य से दुग्ध उत्पादक, कुक्कुट पालन आदि समितियाँ गठित हैं।
- श्रमिकों के हितार्थ श्रमिक सहकारी समितियाँ गठित हैं।
- रोजगार पूरक के रूप में चर्मकार, आद्योगिक, नाव यातायात, परिवहन आदि समितियाँ गठित हैं।
- सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी तथा विभिन्न संस्थाओं में कार्यरत कर्मचारियों के बचत भावनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बचत एवं साख सहकारी समितियाँ गठित है।
- बुनकरों के हितार्थ बुनकर सहकारी समितियाँ गठित है तथा राज्य के कमजोर वर्ग धुनियाँ, रंगरेज एवं दर्जी के कल्याणार्थ राज्य स्तर पर **"धुरद"** शीर्ष सहकारी संस्थान भी गठित है।
- समाज के सबसे कमजोर वर्ग महिलाओं के हितार्थ महिला सहकारी समिति भी प्राथमिक स्तर पर गठित है।
- मत्स्य विकास की अपार सम्भावनाओं के मद्देनजर जलकरों की बन्दोवस्ती परम्परागत मछुआरों के साथ करने के उद्देश्य से पूर्व से सहकारी समिति अधिनियम, 1935 एवं स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत् गठित मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को पुनर्गठित कर सहकारी समिति अधिनियम, 1935 के अन्तर्गत प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियाँ भी गठित हैं।

परिशिष्ट – II

राज्य में निबंधित सहकारी समितियों की संख्या :-

1.	प्राथमिक कृषि साख सहयोग समिति (पैक्स) –	8463
2.	व्यापार मंडल सहयोग समिति –	521
3.	सहकारी उपभोक्ता भंडार (केन्द्रीय+प्राथमिक) –	1874
4.	प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति –	473
5.	बचत एवं साख सहयोग समिति –	327
6.	गृह निर्माण सहयोग समिति –	2741
7.	औद्योगिक सहयोग समिति –	2647
8.	विशेष प्रकार की सहकारी समिति –	393
9.	कुकुटपालन सहयोग समिति –	237
10.	शीत भंडार सहकारी समिति –	50
11.	श्रमिक सहकारी समिति –	4577
12.	ग्रामोदय सहकारी समिति –	844
13.	महिला विकास सहयोग समिति –	430
14.	बुनकर सहयोग समिति –	1089
15.	प्रखंड स्तरीय सब्जी उत्पादक समितियाँ –	112
16.	फलसब्जी उत्पादक सहयोग समिति –	342
17.	तेल उत्पादक सहयोग समिति –	474
18.	दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति –	4279
19.	ताड़ गुड़ उत्पादक सहयोग समिति –	76
20.	सिंचाई सहयोग समिति –	557
21.	संयुक्त कृषि सहयोग समिति –	406
22.	नाव यातायात सहयोग समिति –	89
23.	चर्मकार सहयोग समिति –	187
24.	परिवहन सहयोग समिति –	172
25.	सर्वोदय सहयोग समिति –	54
26.	सभी प्रकार के स्वावलम्बी सहयोग समिति –	7887
		39301

(नोटः– पैक्स, व्यापार मंडल एवं मत्स्यजीवी सहयोग समितियों को छोड़कर अन्य प्रकार की कुछ समितियाँ मृत प्रायः है जिसे परिसमापित किया जा रहा है।)

परिशिष्ट – III

गोदाम निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या :–

क्र. सं.	जिला का नाम	2010–11	2011–12	2012–13			2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18	2018–19			कुल
				1000 मे. टन.	500 मे. टन.	200 मे. टन.	200 मे. टन.	500 मे. टन.	200 मे. टन.	500 मे. टन.	200 मे. टन.	500 मे. टन.	200 मे. टन.	500 मे. टन.	200 मे. टन.	1000 में. टन.	500 में. टन.	200 में. टन.	
1	बाँका	2	20	2	–	20	12	–	12	–	28	2	7	–	11			7	123
2	भागलपुर	–	2	2	2	19	4	–	33	–	6	–	12	1	8			10	99
3	समस्तीपुर	3	–	3	6	50	45	–	38	2	32	3	13		20	1	1	25	242
4	दरभंगा	–	–	3	1	3	30	–	34	4	16	1	12		7				111
5	मधुबनी	–	–	7	4	33	31	–	21	–	2	–	17		–		6	25	146
6	गया	–	–	–	–	32	86	9	42	5	13	–	10	1	12		3	2	215
7	नवादा	2	–	2	–	30	60	–		–	17	6	11		4			3	135
8	औरंगाबाद	1	38	12	10	67	20	–	29	–	–	–			–				177
9	जहानाबाद	–	–	–	–	15	17	–	31	6	–	–			–				69
10	अरवल	–	–	2	2	12	–	–	6	–	–	–	7		7			3	39
11	लखीसराय	5	3	1	–	11	–	–	10	3	3	–	2		2		3	7	50
12	बेगूसराय	–	5	2	4	24	10	–	7	–	26	3	5		–				86
13	मुंगेर	–	–	–	–	27	–	–	4	–	1	–	7		1			8	48
14	जमुई	–	–	2	7	8	37	–	37	3	9	–	4		4		2	11	124
15	शेखपुरा	–	–	1	–	18	1	–	3	3	7	–	1		2		1	1	37
16	खगड़िया	–	–	2	–	–	–	–	11	–	2	1	5		–		1	1	23
17	सीवान	20	–	2	4	20	51	–	9	–	10	–	8		13		2	19	158
18	गोपालगंज	4	–	–	5	20	–	–	34	–	1	–	4		6		1	12	87
19	सारण	–	8	–	2	17	–	3	3	1	8	–	20		25		7	9	103
20	रोहतास	10	16	5	–	40	76	4	1	2	16	8	14		11	1	5	6	215
21	भोजपुर	6	9	4	–	30	–	2	8	4	8	1	6		8		1	9	96
22	पटना	19	–	1	1	50	32	1	10	–	18	4	13		23	3	6	15	196
23	कैमूर	12	–	–	1	–	–	–	8	–	45	5	5		3	5	13	8	105
24	नालन्दा	8	–	8	2	–	–	2	1	1	–	–	7		14		1	7	51
25	बक्सर	–	3	–	1	28	45	–	2	–	–	–	5		–		3	2	89
26	मुजफ्फरपुर	15	7	4	7	53	53	6	7	–	14	–	16		11	6	4	13	216
27	बेतिया	11	–	6	–	20	39	5	1	10	1	–	10		–				103
28	वैशाली	2	–	3	1	–	–	–	5	2	37	2	5		33	5	1		95
29	मोतीहारी	–	–	5	1	20	24	–	–	–	3	1	26		2			3	85
30	सीतामढ़ी	–	–	1	–	20	22	1	33	2	52	3	4		7		2	14	161
31	शिवहर	–	–	–	1	–	–	–	3	–	22	1			–				27
32	सुपौल	–	8	4	2	21	47	2	14	1	7	1	4		6	5	1	8	130
33	मधेपुरा	–	–	3	3	20	19	3	11	1	1	–	7		15	1	5	2	91
34	सहरसा	–	–	1	–	11	55	–	–	1	–	–	6	1	11	5	11	11	113
35	पूर्णिया	–	12	5	1	20	20	–	–	–	–	–	9		–				67
36	अररिया	–	–	3	2	20	6	–	52	4	–	–	5		5			9	106
37	कटिहार	–	–	2	1	10	25	2	15	–	–	–	11		1	1	2	16	86
38	किशनगंज	–	–	2	7	30	17	–	–	–	–	–	3	–	5			8	72
कुल–		**120**	**131**	**100**	**78**	**819**	**884**	**40**	**535**	**55**	**405**	**42**	**301**	**3**	**277**	**33**	**82**	**274**	**4179**

चावल मिल–सह–गैसीफायर एवं विद्युत आधारित चावल मिल (2MT) निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गई राशि की समितियों की संख्या :–

क्र॰ सं॰	जिला का नाम	2008–09	2010–11	2012–13		2013–14		2014–15		2015–16		2016–17 पैक्स / व्यापार मंडल	2017–18 पैक्स / व्यापारमंडल	2018–19 पैक्स / व्यापारमंडल	कुल
				पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल	पैक्स	व्यापार मंडल				
1	बाँका	1	1	1	–	3	–	–	–	–	–	–	5	–	12
2	भागलपुर	2	2	2	1	4	1	–	–	–	–	–	–	1	13
3	समस्तीपुर	–	2	2	–	3	1	–	–	3	1	–	6	–	18
4	दरभंगा	–	1	1	1	2	–	3	1	1	–	–	2	–	12
5	मधुबनी	–	1	1	1	4	1	1	–	1	–	–	2	–	12
6	गया	2	2	2	–	3	–	1	–	–	2	–	7	–	19
7	नवादा	1	1	1	–	–	–	–	–	6		–	2	–	11
8	औरंगाबाद	3	6	7	–	5	–	–	–	–	–	–	5	–	26
9	जहानाबाद	1	–	1	–	3	–	1	–	–	–	–	1	–	7
10	अरवल	–	–	1	–	2	–	–	–	–	–	–	1	–	4
11	लखीसराय	–	3	1	–	2	–	1	–	3	–	–	1	–	11
12	बेगूसराय	–	–	1	–	–	–	–	–	2	1	–	–	–	4
13	मुंगेर	–	–	1	1	4	–	–	–	–	–	–	–	1	7
14	जमुई	–	–	2	–	4	1	–	3	2	–	–	2	–	14
15	शेखपुरा	–	–	2	–	3	1	–	–	3	–	–	–	–	9
16	खगड़िया	1	–	1	–	–	–	–	–	1	–	–	–	–	3
17	सीवान	3	4	2	–	3	1	–	–	2	–	–	1	–	16
18	गोपालगंज	–	–	3	–	4	–	3	–	–	–	–	4	–	14
19	सारण	–	–	1	1	1	–	1	–	–	1	–	5	–	10
20	रोहतास	2	3	5	1	3	–	14	3	16	5	–	6	–	58
21	भोजपुर	1	1	2	–	4	–	–	–	–	–	–	7	–	15
22	पटना	3	2	1	–	–	–	1	–	3	–	–	7	–	17
23	कैमूर	2	4	1	–	1	–	6	–	5	–	–	6	–	25
24	नालन्दा	–	3	6	1	4	–	5	–	–	–	–	5	–	24
25	बक्सर	2	4	2	1	2	1	4	–	–	–	–	–	1	17
26	मुजफ्फरपुर	3	1	2	–	4	–	–	–	3	–	–	2	–	15
27	बेतिया	1	4	2	1	2	–	6	–	–	–	–	–	1	17
28	वैशाली	2	3	3	–	2	–	–	–	4	–	–	–	–	14
29	मोतीहारी	3	1	3	–	2	–	1	–	–	–	–	4	–	14
30	सीतामढ़ी	2	3	1	–	–	–	3	–	5	–	–	–	–	14
31	शिवहर	–	–	1	–	3	–	1	–	3	–	–	–	–	8
32	सुपौल	1	1	1	–	1	1	3	1	5	–	–	3	–	17
33	मधेपुरा	–	2	2	–	5	–	1	–	–	–	–	2	–	12
34	सहरसा	–	–	1	–	3	–	2	–	–	–	–	2	–	8
35	पूर्णियाँ	–	1	2	1	3	1	–	1	–	–	–	2	–	11
36	अररिया	–	–	2	–	3	–	2	–	5	1	–	3	–	16
37	कटिहार	2	2	1	–	–	1	–	–	–	–	–	–	1	7
38	किशनगंज	2	–	2	–	2	1	–	–	–	–	–	–	1	8
कुल		**40**	**58**	**73**	**10**	**94**	**11**	**60**	**9**	**74**	**11**	**0**	**93**	**6**	**539**

परिशिष्ट – IV

(विभाग की सांगठनिक एवं प्रशासनिक संरचना)

सहकारिता विभाग का निम्न स्वरूप है जिनके अन्तर्गत सचिवालय एवं निदेशालय क्रमशः प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग एवं निबंधक, सहयोग समितियाँ के अन्तर्गत पृथक–पृथक कार्यरत है।

निम्नांकित चार्ट से संगठनात्मक स्वरूप परिलक्षित होगा :–

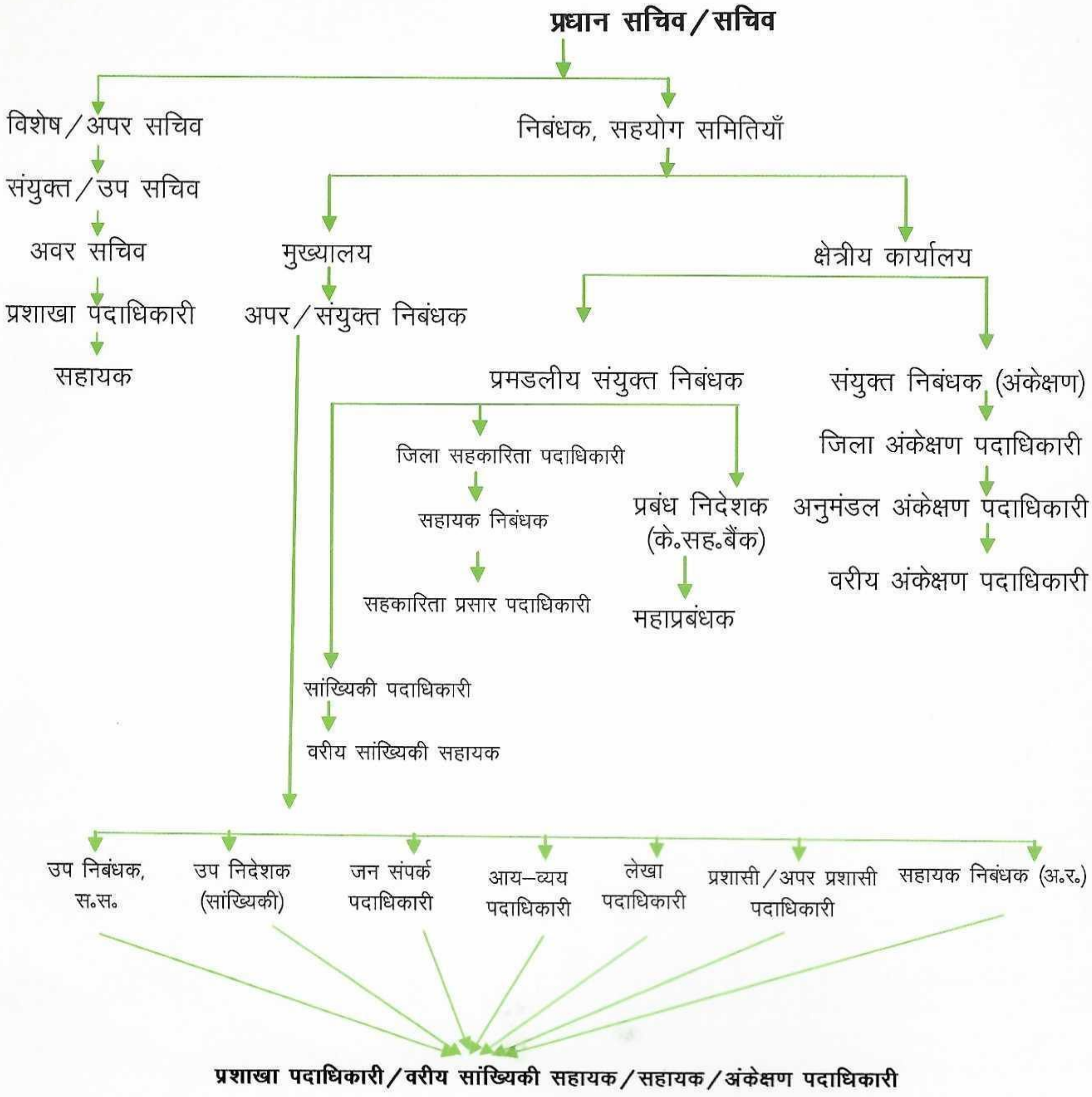

परिशिष्ट – V

सहकारिता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय

सहकारिता विभाग के अन्तर्गत प्रमंडल स्तर पर संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ एवं संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (अंकेक्षण), जिला स्तर पर जिला सहकारिता पदाधिकारी एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी तथा अनुमंडल स्तर पर सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ के कार्यालय हैं।

प्रमंडलवार कार्यालयों का विवरण निम्नांकित हैं :–

प्रमंडल	जिला सहकारिता पदाधिकारी का कार्यालय	सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय	प्रमंडल	जिला अंकेक्षण पदाधिकारी का कार्यालय
1	2	3	4	5
1. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना	1 पटना सदर 2. बाढ़ 3. पटनासिटी 4. दानापुर 5. मसौढ़ी	1. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना	1. पटना
	2. नालन्दा	6. बिहारशरीफ 7. हिलसा		2. नालंदा
	3. भोजपुर	8. आरा		3. भोजपुर
	4. बक्सर	9. बक्सर 10. डुमराँव		
	5. रोहतास	11. सासाराम 12. बिक्रमगंज		4. रोहतास
	6. कैमूर	13. कैमूर		
2. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	7. गया	14. गया 15. शेरघाटी	.2. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, मगध प्रमंडल, गया	5. गया
	8. जहानाबाद	16. जहानाबाद		
	9. अरवल	17. अरवल		
	10. औरंगाबाद	18. औरंगाबाद		6. औरंगाबाद
	11. नवादा	19. नवादा		7. नवादा
3. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	12. मुजफ्फरपुर	20. मुजफ्फरपुर पूर्वी 21. मुजफ्फरपुर पश्चिमी	3. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	8. मुजफ्फरपुर
	13. वैशाली	22. हाजीपुर		9. वैशाली
	14. सीतामढ़ी	23. सीतामढ़ी 24. पुपरी		10. सीतामढ़ी
	15. शिवहर	25. शिवहर		
	16. मोतिहारी	26. मोतिहारी 27. सिकरहना		11. मोतिहारी
	17 बेतिया	28. बेतिया 29. बगहा		12. बेतिया

4. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	18. दरभंगा	30. दरभंगा 31. बेनीपुर	4. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	13. दरभंगा
	19. मधुबनी	32. मधुबनी 33. झंझारपुर 34. बेनीपट्टी		14. मधुबनी
	20. समस्तीपुर	35. समस्तीपुर 36. दलसिंहसराय 37. रोसड़ा 38. पटोरी		15. समस्तीपुर
5. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	21. सारण	39. छपरा 40. सोनपुर	5. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सारण प्रमंडल, छपरा	16. सारण
	22. सिवान	41. सिवान		17. सिवान
	23. गोपालगंज	42. गोपालगंज		18. गोपालगंज
6. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर एवं मुंगेर प्रमंडल, भागलपुर	24. भागलपुर	43. भागलपुर 44. नवगछिया	6. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर	19. भागलपुर
	25. बांका	45. बांका		
	26. मुंगेर	46. मुंगेर		20. मुंगेर
	27. जमुई	47. जमुई		
	28. शेखपुरा	48. शेखपुरा		
	29. लखीसराय	49. लखीसराय		
	30. बेगूसराय	50. बेगूसराय		21. बेगूसराय
	31. खगड़िया	51. खगड़िया		22. खगड़िया
7. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा	32. सहरसा	52. सहरसा 53. बीरपुर 54. त्रिवेणीगंज	7. संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ, सहरसा एवं पूर्णियाँ प्रमंडल, सहरसा	23. सहरसा
	33. सुपौल	55. सुपौल		
	34. मधेपुरा	56. मधेपुरा 57. उदाकिशनगंज		
8. संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ	35. पूर्णियाँ	58. पूर्णियाँ		24. पूर्णियाँ
	36. अररिया	59. अररिया		
	37. किशनगंज	60. किशनगंज		
	38. कटिहार	61. कटिहार		25. कटिहार

बिहार सरकार

सहकारिता विभाग

Printed at : Indian Arts Offset, Basement of S.B.I., Mahendru, Patna - 6
(O) 0612 - 2678074 (M) 72578 87860, 94310 11172, e-mail : indianartsoffset@[illegible]